अध्याय II: राज्य का वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान समग्र प्रवृतियों, राज्य की ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखा संव्यव्हारों का राज्य के वित्त लेखों और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर विश्लेषण करता है।

2.1 वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में मुख्य राजकोषीय समग्रों में मुख्य परिवर्तन

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय समग्रों का सारांश **तालिका 2.1** और प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है। इन संकेतकों में से प्रत्येक का विश्लेषण अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया जाएगा।

तालिका 2.1: वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में राजकोषीय समग्रों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2022-23	2023-24		2022-23	2023-24
अनुभाग-अ: राजस्व खाता					
स्व-कर राजस्व	87,346.38	94,085.94	सामान्य सेवायें	71,874.89	77,677.64
कर-भिन्न राजस्व	20,564.43	18,679.58	सामाजिक सेवायें	90,168.36	1,01,883.91
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	57,230.79	68,063.21	आर्थिक सेवायें	64,436.00	62,669.28
भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	29,846.33	22,447.55	सहायतार्थ अनुदान और अंशदान	0.04	0.05
योग अनुभाग अ-राजस्व प्राप्तियां	**1,94,987.93**	**2,03,276.28**	**योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय**	**2,26,479.29**	**2,42,230.88**
अनुभाग-ब: पूंजीगत लेखा और अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	16.20	14.24	पूँजीगत परिव्यय	19,798.28	26,645.72
			सामान्य सेवायें	542.45	406.94
			सामाजिक सेवायें	8,850.67	9,949.52
			आर्थिक सेवायें	10,405.16	16,289.26
ऋण और अग्रिमों की वसूलियां	419.61	404.74	संवितरित ऋण और अग्रिम	174.78	398.21
लोक ऋण प्राप्तियां*	55,647.01	87,154.13	लोक ऋण की पुनर्अदायगी*	20,819.20	28,886.38
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	2,43,204.58	2,85,479.58	लोक लेखा संवितरण#	2,34,001.34	2,75,294.50
प्रारंभिक रोकड़ शेष	14,669.09	7,671.53	अंतिम रोकड़ शेष	7,671.53	10,544.81
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	**3,13,956.49**	**3,80,724.22**	**योग अनुभाग-ब संवितरण**	**2,82,465.13**	**3,41,769.62**
महा योग (अ+ब)	**5,08,944.42**	**5,84,000.50**	**महा योग (अ+ब)**	**5,08,944.42**	**5,84,000.50**

स्रोत: वित्त लेखे

* *वर्ष 2022-23: ₹ 1,04,918.40 करोड़ एवं 2023-24: ₹ 1,35,112.20 करोड़ के मार्गोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट अंतर्गत संव्यवहारों के अतिरिक्त।*

\# *लोक लेखा प्राप्तियों/संवितरणों की राशि सकल आधार पर दर्शायी गई है।*

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय समग्रों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियां	➢ राज्य की राजस्व प्राप्तियां 4.25 प्रतिशत बढ़ी। ➢ राज्य की स्व-कर प्राप्तियाँ 7.72 प्रतिशत बढ़ी। ➢ स्व-कर भिन्न प्राप्तियां 9.17 प्रतिशत घटी। ➢ केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश 18.93 प्रतिशत बढ़ा। ➢ भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान 24.79 प्रतिशत घटा।
पूंजीगत प्राप्तियां	➢ पूंजीगत ऋण प्राप्तियां 56.62 प्रतिशत बढ़ी। ➢ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 3.86 प्रतिशत घटी।
राजस्व व्यय	➢ राजस्व व्यय 6.96 प्रतिशत बढ़ा। ➢ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 8.07 प्रतिशत बढ़ा। ➢ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 12.99 प्रतिशत बढ़ा। ➢ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2.74 प्रतिशत घटा।
पूंजीगत व्यय	➢ पूंजीगत व्यय 34.59 प्रतिशत बढ़ा। ➢ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 24.98 प्रतिशत घटा। ➢ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 12.42 प्रतिशत बढ़ा। ➢ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 56.55 प्रतिशत बढ़ा।
ऋण और अग्रिम	➢ ऋण और अग्रिमों का संवितरण 127.83 प्रतिशत बढ़ा। ➢ ऋण और अग्रिमों की वसूलियां 3.54 प्रतिशत घटी।
लोक ऋण	➢ लोक ऋण प्राप्तियाँ 56.62 प्रतिशत बढ़ी। ➢ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 38.75 प्रतिशत बढ़ा।
लोक लेखा	➢ लोक लेखा प्राप्तियाँ 17.38 प्रतिशत बढ़ी। ➢ लोक लेखा संवितरण 17.65 प्रतिशत बढ़ा।
रोकड़ शेष	➢ गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान रोकड़ शेष ₹ 2,873.28 करोड़ (37.45 प्रतिशत) बढ़ा।

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

तालिका 2.2 वर्ष 2022-23 के साथ वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों और उपयोग की तुलना करती है, जबकि **चार्ट 2.1** और **2.2** वर्ष 2023-24 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियों और व्यय का प्रतिशतता के रूप में विवरण प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 2.2: वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि / कमी (-)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारम्भिक रोकड़ शेष	14,669.09	7,671.53	(-) 6,997.56
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,94,987.93	2,03,276.28	8,288.35
	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	16.20	14.24	(-) 1.96
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां	419.61	404.74	(-) 14.87
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	34,827.81	58,267.75	23,439.94
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	9,203.24	10,185.08	981.84
	योग	**2,54,123.88**	**2,79,819.62**	**25,695.74**

	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि / कमी (-)
उपयोग	राजस्व व्यय	2,26,479.29	2,42,230.88	15,751.59
	पूंजीगत व्यय	19,798.28	26,645.72	6,847.44
	ऋण और अग्रिमों का संवितरण	174.78	398.21	223.43
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम रोकड़ शेष	7,671.53	10,544.81	2,873.28
	योग	**2,54,123.88**	**2,79,819.62**	**25,695.74**

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.1: संसाधनों का संयोजन

(प्रतिशत में)

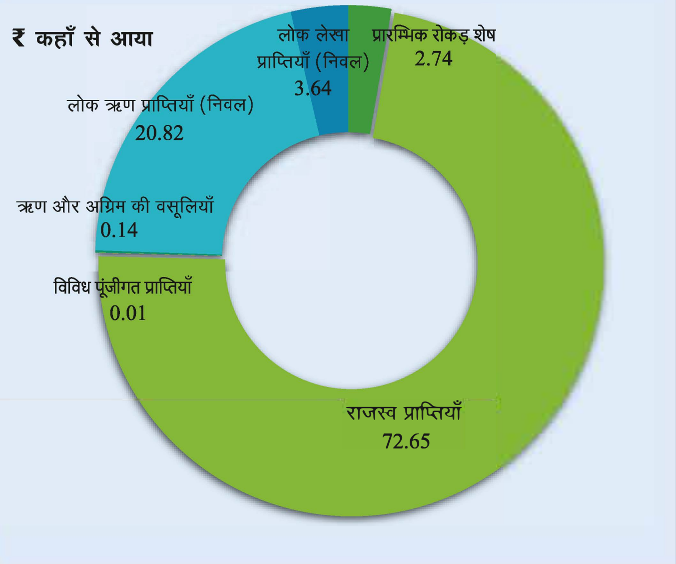

चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग

(प्रतिशत में)

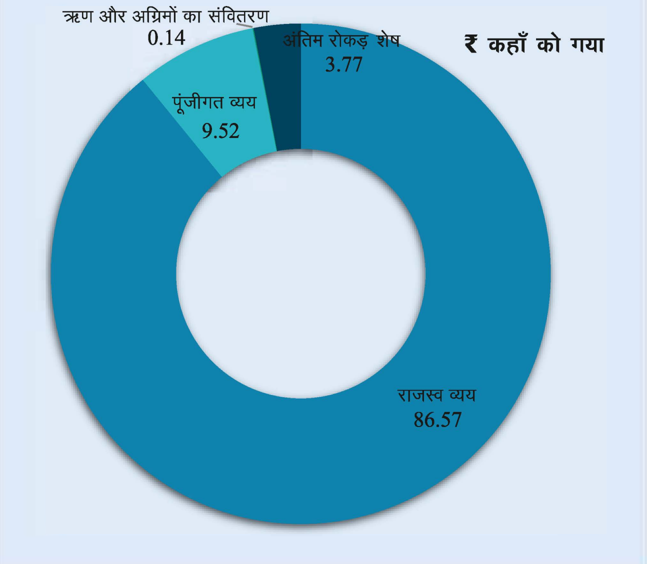

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व एवं संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा), कर-भिन्न राजस्व और भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान शामिल हैं।

2. **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ) में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल है।

   राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** ये कुछ संव्यवहारों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाओं, उचंतों, प्रेषणों आदि से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं। इन्हें संविधान की धारा 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करने वाली प्राप्तियों के दो प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त, संवितरण के बाद लोक लेखों में उपलब्ध निधियों का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्तपोषण करने हेतु किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय संसाधनों के घटक और उप-घटक

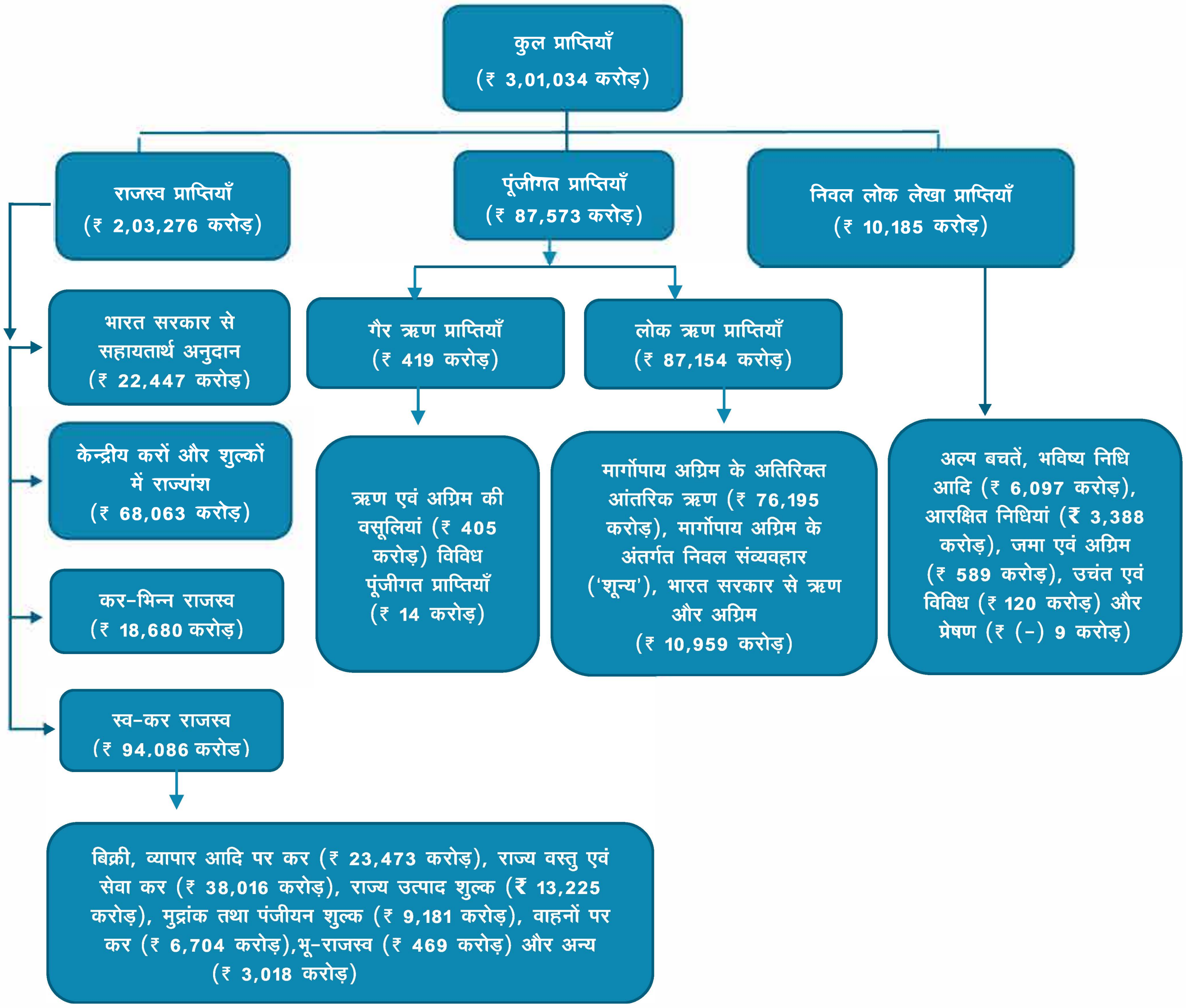

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के कुल संसाधनों ₹ 3,01,034 करोड़ में से, राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,03,276 करोड़) का हिस्सा 67.53 प्रतिशत रहा। कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹ 87,573 करोड़) तथा निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹ 10,185 करोड़) क्रमशः 29.09 प्रतिशत तथा 3.38 प्रतिशत रही।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह अनुच्छेद कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों की प्रवृतियां दर्शाता है। आगे यह भारत सरकार से प्राप्तियों और राज्य की स्व-प्राप्तियों में विभाजित प्राप्तियों की प्रवृत्ति का अनुगमन करता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि

तालिका 2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि के साथ-साथ पांच वर्षों की अवधि 2019-24 में जीएसडीपी के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों का संयोजन क्रमशः **चार्ट 2.4** और **2.5** के साथ-साथ ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	**राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा)**	**1,40,114**	**1,34,308**	**1,83,920**	**1,94,988**	**2,03,276**
2.	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.63	(-) 4.14	36.94	6.02	4.25
3.	**कर राजस्व**	**95,294**	**95,859**	**1,28,839**	**1,44,577**	**1,62,149**
4.	स्व-कर राजस्व	59,245	60,283	74,808	87,346	94,086
5.	केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	36,049	35,576	54,031	57,231	68,063
6.	**कर-भिन्न राजस्व**	**15,714**	**13,653**	**18,755**	**20,565**	**18,680**
7.	**भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान**	**29,106**	**24,796**	**36,326**	**29,846**	**22,447**
8.	स्व-राजस्व (स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व)	74,959	73,936	93,563	1,07,911	1,12,766
9.	स्व-राजस्व की वृद्धि(स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व (प्रतिशत)	(-) 1.35	(-) 1.36	26.55	15.34	4.50
10.	सहायतार्थ अनुदान की वृद्धि दर	45.26	(-)14.81	46.50	(-)17.84	(-) 24.79
11.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	10,00,032	10,17,917	11,94,961$^{\Sigma}$	13,57,851$^{\Psi}$	15,28,385$^{\propto}$
12.	जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.71	1.79	17.39	13.63	12.56
13.	राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	14.01	13.19	15.39	14.36	13.30
14.	**उत्प्लावकता अनुपात**[1]					
15.	राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	-*	-*	1.53	1.13	0.36

स्रोतः वित्त लेखे तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

* *नकारात्मक वृद्धि दर होने के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की जा सकती है।*

Σ *संशोधित अनुमान-II*

Ψ *संशोधित अनुमान-I*

$\propto$ *अग्रिम अनुमान*

1. उत्प्लावकता आधार चर के परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया की मात्रा को इंगित करती है। उदाहरण के लिए, जीएसडीपी के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता 1.7 से तात्पर्य है कि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्तियों में 1.7 प्रतिशत अंक तक की वृद्धि हो जाती है।

तालिका 2.3 दर्शाती है कि गत पांच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 9.75 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से 2019-20 में ₹ 1,40,114 करोड़ से 2023-24 में ₹ 2,03,276 करोड़ तक 45.07 प्रतिशत बढ़ी, हालाँकि, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ 2019-20 में 14.01 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 13.30 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 8,288 करोड़ (4.25 प्रतिशत) बढ़ीं। राज्य की स्व-कर प्राप्तियों तथा केंद्रीय करों एवं शुल्को में राज्यांश में क्रमशः 7.72 प्रतिशत तथा 18.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कर-भिन्न प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में 9.17 प्रतिशत कम रहीं।

गत वर्ष की तुलना में, चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय 6.96 प्रतिशत (₹ 15,752 करोड़) जबकि राजस्व प्राप्तियाँ 4.25 प्रतिशत (₹ 8,288 करोड़) बढ़ी।

अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान में 22.88 प्रतिशत की कमी आयी। गत वर्ष की तुलना में 2023-24 में इसमें ₹ 7,399 करोड़ (24.79 प्रतिशत) की कमी आयी। यह कमी मुख्य रूप से स्थानीय निकायों को राजस्व घाटा अनुदान में उल्लेखनीय कमी के कारण हुई। फिर भी, 2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 55.47 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान का योगदान 44.53 प्रतिशत था जो राजस्थान की राजकोषीय स्थिति का कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान पर निर्भरता को इंगित करता है।

जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता 2019-20 और 2020-21 के दौरान नकारात्मक रही। जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता में पिछले वर्ष (1.13 प्रतिशत) की तुलना में 2023-24 के दौरान उल्लेखनीय कमी हुई और 0.36 प्रतिशत रही। राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

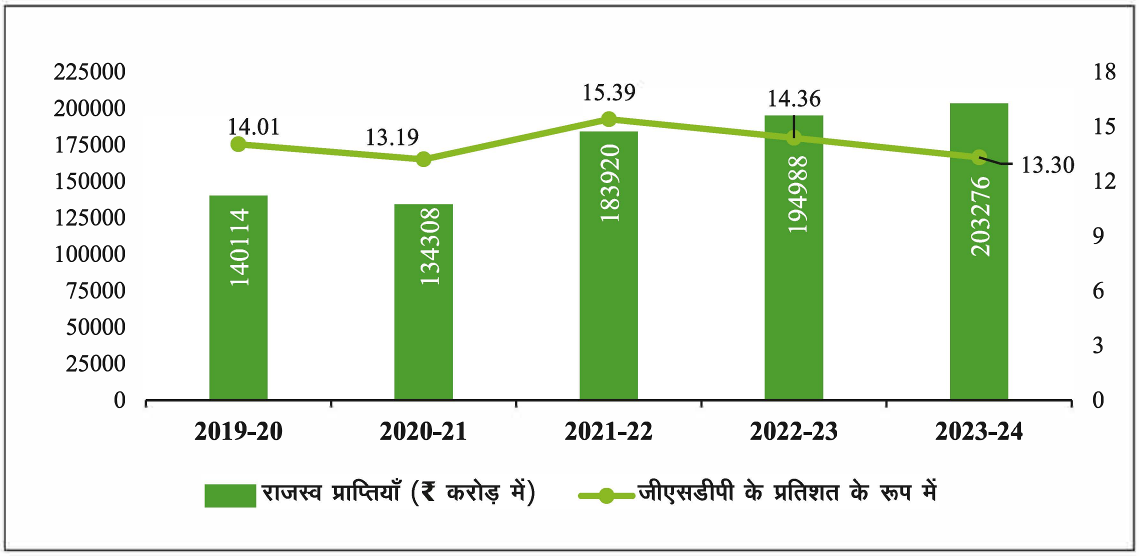

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

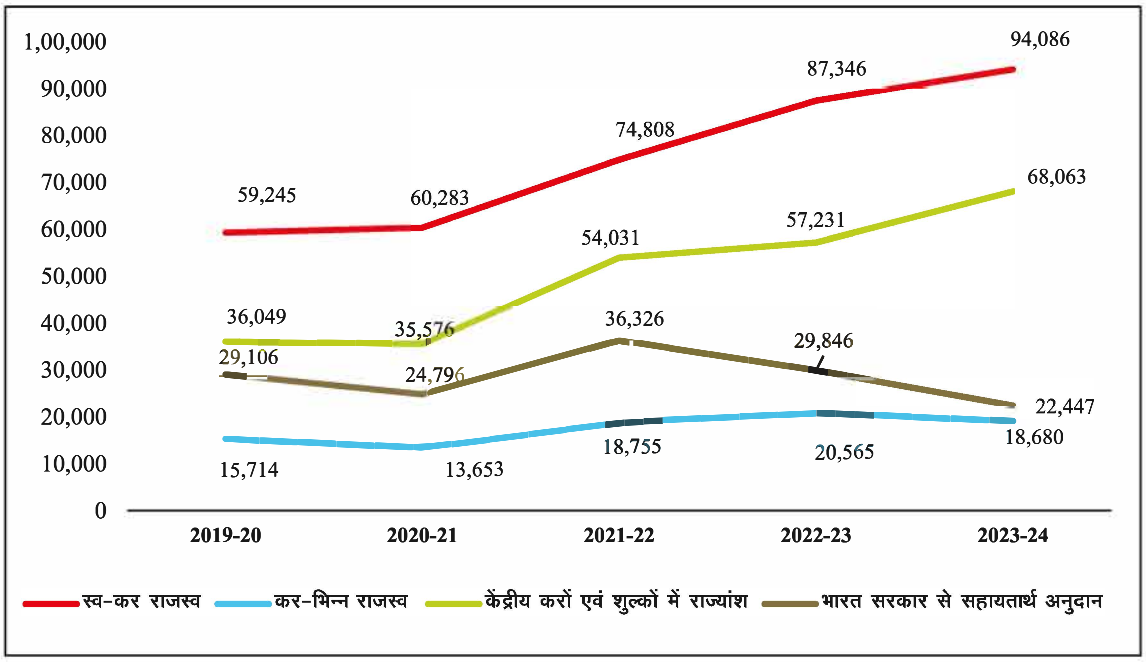

2.3.2.2 राज्य के स्व-संसाधन

केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह की मात्रा और योजनाओं के लिए प्रत्याशित केंद्रीय सहायता द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के निष्पादन का आंकलन उसके स्व-कर और कर-भिन्न संसाधनों से राजस्व सहित उसके स्व-संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य जीएसटी, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, इत्यादि कर शामिल हैं।

वर्ष 2019-24 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृतियों एवं इसके घटकों का विश्लेषण **चार्ट 2.6** और **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2019-24 के दौरान स्व-कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

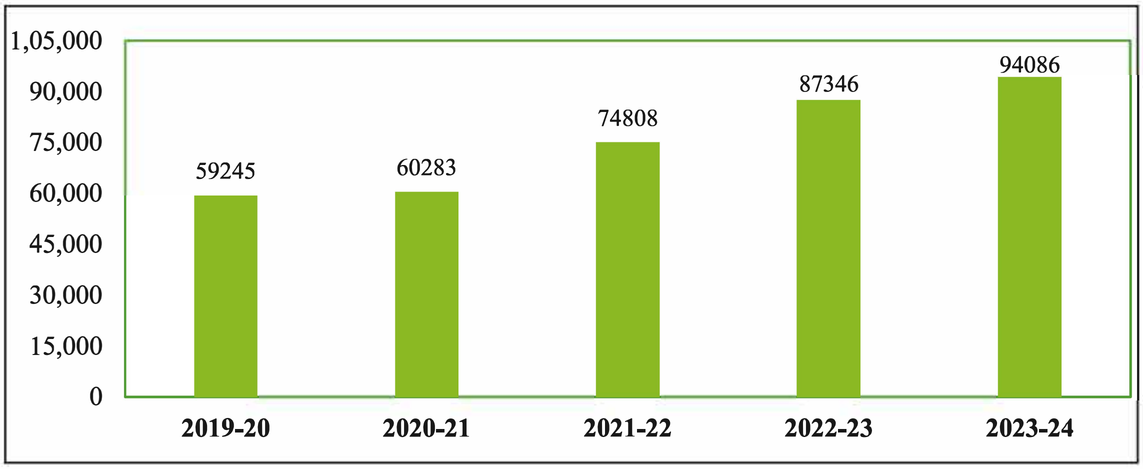

वर्ष 2019-24 के दौरान संग्रहित स्व-कर राजस्व का घटक-वार विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 2.4: वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
						बजट अनुमान	वास्तविक
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	15,843	17,479	20,605	22,727	27,300	23,473
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	41	45	171	08	10	-*
3.	मनोरंजन कर और विलासिता कर (वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों के अंतर्गत)	01	01	11	01	01	-#
4.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	21,954	20,755	27,502	33,790	48,946	38,016
	योग	**37,839**	**38,280**	**48,289**	**56,526**	**76,257**	**61,489**
5.	राज्य उत्पाद शुल्क	9,592	9,853	11,807	13,326	17,000	13,225
6.	वाहनों पर कर	4,951	4,368	4,759	6,128	7,700	6,704
7.	मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	4,235	5,297	6,492	8,189	9,150	9,181
8.	भू-राजस्व	364	280	632	484	636	469
9.	अन्य कर [2]	2,264	2,205	2,829	2,693	3,426	3,018
	महा योग	**59,245**	**60,283**	**74,808**	**87,346**	**1,14,169**	**94,086**

स्रोतः वित्त लेखे

*मात्र ₹ (-) 0.46 करोड़ (राजस्व प्रतिदाय के कारण ऋणात्मक आंकड़े)# मात्र ₹ 0.20 करोड़

2. अन्य करों में कृषि भूमि से भिन्न अन्य अचल संपत्तियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (मनोरंजन कर और विलासिता कर को छोड़कर) शामिल हैं। इसमें विद्युत पर कर एवं शुल्क की वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान क्रमशः ₹ 2,263 करोड़, ₹ 2,142 करोड़, ₹ 2,606 करोड़ ₹ 2,625 करोड़ एवं ₹ 2,918 करोड़ की प्राप्तियाँ शामिल हैं।

राज्य का स्व-कर राजस्व 12.26 प्रतिशत सीएजीआर से ₹ 34,841 करोड़ बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 59,245 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 94,086 करोड़ हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य में स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में 7.72 प्रतिशत थी एवं पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के औसत (10.58 प्रतिशत) (***परिशिष्ट 1.2***) से कम थी। वर्ष 2023-24 के दौरान, वास्तविक स्व-कर राजस्व अनुमानित स्व-कर राजस्व की तुलना में काफी कम (17.59 प्रतिशत) था। वर्ष के दौरान स्व-कर राजस्व में प्रमुख योगदानकर्ता राज्य वस्तु और सेवा कर (40.41 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (24.95 प्रतिशत) और राज्य उत्पाद शुल्क (14.06 प्रतिशत) थे। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य वस्तु और सेवा कर, मुद्रांक और पंजीयन शुल्क और वाहनों पर कर पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 12.51 प्रतिशत, 12.11 प्रतिशत और 9.40 प्रतिशत बढ़े।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

वर्ष 2022-23 के ₹ 33,790.48 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 48,946.45 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का संग्रहण ₹ 38,015.97 करोड़ (आईजीएसटी से अग्रिम विभाजन की राशि ₹ (-)468.00 करोड़ सहित, ऋणात्मक आंकड़े आईजीएसटी में कमी को पूरा करने हेतु समायोजन के कारण थे) था। भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखों के अनुसार एसजीएसटी की राशि ₹ 17,491.66 करोड़ थी तथा वित्त लेखों के अनुसार भी एसजीएसटी की राशि ₹ 17,491.66 करोड़[3] थी। इस प्रकार, एसजीएसटी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखों एवं वित्त लेखों के मध्य कोई अंतर नहीं था।

वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

जीएसटीएन (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) परिसर में सम्पूर्ण भारत के आंकड़ो तक पहुंच सुनिश्चित करने का भारत सरकार का निर्णय 20 जून 2020 सूचित किया गया। राजस्थान के मामले में, जो एक मॉडल-II राज्य है, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लेखापरीक्षा में लगे अधिकारियों को जीएसटीएन तक उपयोगकर्ता आईडी-आधारित पहुंच 25 नवंबर 2020 को प्रदान की गई थी। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य की प्राप्तियों की वर्ष 2022-23 तक की लेखापरीक्षा की जा चुकी है।

3. इसमें मुख्य शीर्ष-0006 के तहत प्राप्त ₹ 20,524.31 करोड़ शामिल नहीं हैं (i) एसजीएसटी और आईजीएसटी का सकल इनपुट टैक्स क्रेडिट उपभोगः ₹ 14,977.64 करोड़; (ii) आईजीएसटी का विभाजन-एसजीएसटी के कर घटक का हस्तान्तरणः ₹ 6,002.56 करोड़; (iii) आईजीएसटी का विभाजन-एसजीएसटी के ब्याज घटक का हस्तान्तरणः ₹ 12.11 करोड़ तथा (iv) आईजीएसटी से अग्रिम आवंटनः ₹ (-) 468.00 करोड़।

राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व का बकाया सरकार द्वारा राजस्व की वसूली में विलम्ब को इंगित करता है और निर्धारण का बकाया रहना संभावित राजस्व को इंगित करता है जो विलम्बित निर्धारण के कारण अवरूद्ध है। दोनों सरकार को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2024 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व की बकाया राशि ₹ 11,423.78 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 3,856.77 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 2.5** में दिया गया है:

तालिका 2.5: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2023 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2024 को कुल बकाया राशि और विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि		31 मार्च 2024 को पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाणिज्यिक कर*	9,031.36	7,173.25	(-) 20.57	3,078.87
2.	परिवहन*	45.11	35.12	(-) 22.15	22.75
3.	भू-राजस्व*	202.82	193.55	(-) 4.57	97.91
4.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई*	3.15	3.30	4.76	1.92
5.	खान एवं भूविज्ञान	258.89	252.06	(-)2.64	91.64
6.	पंजीकरण एवं मुद्रांक*	1,030.73	692.65	(-)32.80	159.20
7.	भू-कर*	1,349.11	1,252.32	(-)7.17	208.20
8.	राज्य उत्पाद शुल्क*	1,857.99	1,821.53	(-)1.96	196.28
योग		**13,779.16**	**11,423.78**	**(-) 17.09**	**3,856.77**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

* विभागों द्वारा अद्यतन सूचनाएं प्रेषित करने के कारण प्रारंभिक शेष गत वर्ष के अंतिम शेष से भिन्न है।

बकाया निर्धारण

वाणिज्यिक कर, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों, निर्धारण योग्य मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अन्तिमिकरण के लिए लंबित मामलों का विवरण **तालिका 2.6** में दिया गया है:

तालिका 2.6 : बकाया निर्धारण

विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष 2023-24 के दौरान निर्धारण योग्य नए मामले	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2023-24 के दौरान निपटाये गये मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत (कॉलम 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
वाणिज्यिक कर*	0	4,611	4,611	4,611	0	100
परिवहन*	1,033	19,879	20,912	19,758	1,154	94.48
पंजीकरण एवं मुद्रांक*#	5,155	5,502	10,657	6,011	4,646	56.40
खान एवं भूविज्ञान	10,582	7,516	18,098	6,654	11,444	36.77

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

* विभागों द्वारा अद्यतन सूचनाएं प्रेषित करने के कारण प्रारंभिक शेष गत वर्ष के अंतिम शेष से भिन्न है।

\# भूमि कर सहित

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर और परिवहन विभागों ने निपटान के उच्च प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया।

राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से सम्बन्धित सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी, 2025)।

विभागों द्वारा पता लगायी गई कर चोरी का विवरण

विभागों द्वारा पता लगाये गए कर चोरी के मामले तथा अतिरिक्त कर की मांग करना राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के मुख्य संकेतक है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान कर चोरी के 651 मामले पाये गये। 634 मामलों में निर्धारण/जाँच पूरी कर ली गई और 401 मामले 31 मार्च 2024 को अन्तिमिकरण के लिए बकाया थे। आगे, वर्ष 2023-24 के दौरान पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग में कर चोरी के 1,158 मामले पाये गये। 31 मार्च 2024 को सभी मामलों में निर्धारण/जाँच पूरी कर ली गई और कोई भी मामला अन्तिमिकरण के लिए बकाया नहीं था। बकाया मामलों का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है:

तालिका 2.7: पता लगायी गई कर चोरी

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 को बकाया मामले	वर्ष 2023-24 के दौरान ज्ञात मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण जाँच पूर्ण कर ली गई / और शास्ति इत्यादि के साथ अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2024 को अन्तिमीकरण के लिये बकाया मामले
				मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
वाणिज्यिक कर	384	651	1,035	634	1,314.13	401
पंजीयन एवं मुद्रांक*	1,824	1,158	2,982	2,982	22.01	0

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित सूचना।

* विभागों द्वारा अद्यतन सूचनाएं प्रेषित करने के कारण प्रारंभिक शेष गत वर्ष के अंतिम शेष से भिन्न है।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग में वर्ष के दौरान लंबित प्रकरण 31 मार्च 2023 को 384 से बढकर 31 मार्च 2024 को 401 हो गये। विभाग लंबित प्रकरणों को अंतिम रूप देने के लिए ठोस प्रयास कर सकता है।

खान एवं भू-विज्ञान, परिवहन एवं राज्य उत्पाद शुल्क विभागों से सम्बन्धित सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 2025)।

रिफंड के लंबित मामले

रिफंड के मामलों के निस्तारण में तत्परता भी विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। विभागों द्वारा वर्ष 2023-24 के प्रारंभ में रिफंड के लंबित मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड और वर्ष 2023-24 के अंत में लंबित बताये गये मामलों को **तालिका 2.8** में दिया गया है:

तालिका 2.8: रिफंड के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर विभाग		परिवहन विभाग		पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग		खान एवं भू-विज्ञान विभाग	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	977	65.56	314	3.73	1,693	15.41	03	0.22
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1681	172.30	481	6.91	2,807	33.49	14	34.24
3	वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड	1236	109.82	490	3.43	2,323	23.44	0	0
4	वर्ष के दौरान निरस्त	633	65.05	23	0.15	325	3.54	0	0
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	809	62.99	282	7.06	1,852	21.92	17	34.46

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित सूचना

यह देखा जा सकता है कि पंजीकरण एवं मुद्रांक तथा खान एवं भू-विज्ञान विभाग में बकाया प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से सम्बंधित सूचना अपेक्षित है (फरवरी 2025)।

संबंधित विभाग रिफंड के मामलों के त्वरित निपटान के लिए उपयुक्त उपायों पर विचार कर सकते हैं क्योंकि इससे न केवल दावेदारों को लाभ होगा बल्कि सरकार रिफंड के विलंबित भुगतान पर ब्याज की अदायगी से भी बचेगी।

कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, पेट्रोलियम से राजस्व, लाभांश एवं लाभ, इत्यादि शामिल है । वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व की प्रवृत्ति **तालिका 2.9** में दी गई है।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
						बजट अनुमान	वास्तविक
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	3,852	2,693	1,628	2,030	2,425	2,006
2.	पेट्रोलियम से राजस्व[4]	3,320	1,905	3,995	4,889	5,500	3,425
3.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	4,579	4,966	6,395	7,213	9,000	7,460
4.	लाभांश एवं लाभ	55	3	87	29	73	51
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	3,908	4,086	6,650	6,404	7,287	5,738
	योग	**15,714**	**13,653**	**18,755**	**20,565**	**24,285**	**18,680**

स्रोतः वित्त लेखे

4. बाड़मेर-सांचोर बेसिन से उत्पादित कच्चे तेल पर रॉयल्टी से राजस्व।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.19 प्रतिशत से 11.22 प्रतिशत तक था। वर्ष 2023-24 के दौरान, कर-भिन्न राजस्व (₹18,680 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 9.17 प्रतिशत (₹ 1,885 करोड़) की कमी मुख्यतः कच्चे तेल पर रॉयल्टी से पेट्रोलियम प्राप्तियों में ₹ 1,464 करोड़ (29.94 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी के कारण हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान पेट्रोलियम पर रॉयल्टी में कमी कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के कम उत्पादन के कारण थी। आगे, गत वर्ष की तुलना में अदावाकृत राशियों को कम जमा करने एवं प्रत्याभूति शुल्क की कम प्राप्ति के कारण अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां भी गत वर्ष से कम थी। इस प्रकार, वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में कर-भिन्न राजस्व में गत वर्ष की तुलना में ऋणात्मक वृद्धि रही जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के कर-भिन्न राजस्व की औसत वृद्धि दर धनात्मक (14.62 प्रतिशत) थी ***(परिशिष्ट 1.2)***।

2.3.2.3 केंद्र द्वारा हस्तांतरण

केंद्र सरकार से हस्तांतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर होते हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से में 32 प्रतिशत (तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित) से 42 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की। तथापि, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्से को 42 प्रतिशत (चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित) से 41 प्रतिशत तक कम करने की सिफारिश की। वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्र से हस्तांतरण राजस्व प्राप्तियों का 44.53 प्रतिशत था।

चौदहवें तथा पंद्रहवे वित्त आयोगों की अवधि को शामिल करते हुए पांच वर्षों की अवधि के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरण की प्रवृति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 2.10: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	36,049	35,576	54,031	57,231	68,063
सहायतार्थ अनुदान	29,106	24,796	36,326	29,846	22,447
योग	**65,155**	**60,372**	**90,357**	**87,077**	**90,510**
गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि	5.28	(-) 7.34	49.67	(-) 3.63	3.94
केंद्र से कुल हस्तांतरण राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	46.50	44.95	49.13	44.66	44.53

स्रोतः वित्त लेखे

केंद्र से हस्तांतरण वर्ष 2019-20 में ₹ 65,155 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 90,510 करोड़ हो गया एवं गत वर्ष (₹ 87,077 करोड़) की तुलना में इसमें 3.94 प्रतिशत की वृद्धि भी हुई। गत वर्ष की

तुलना में, 2023-24 में केंद्रीय कर हस्तांतरण बढ़ा, यद्यपि, केंद्र से अनुदान गत वर्ष की तुलना में कम हो गया।

चार्ट 2.7: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

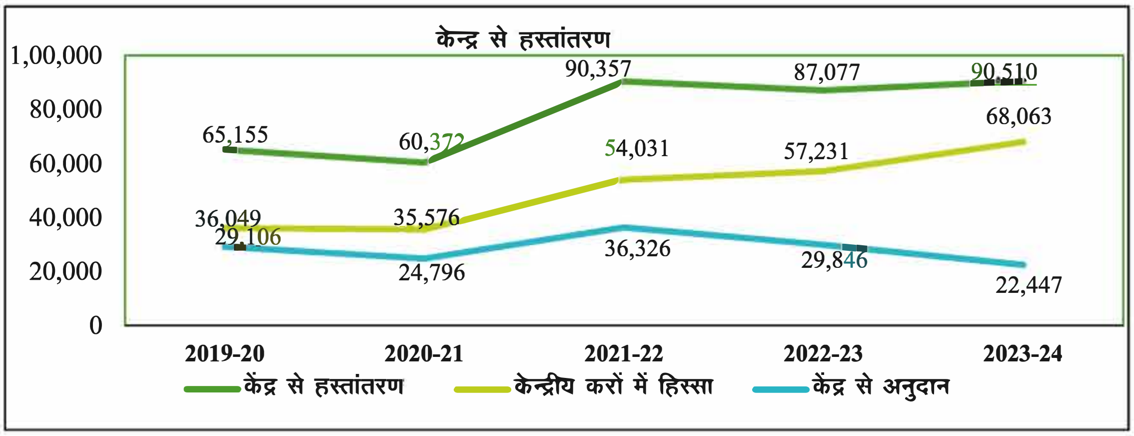

केंद्रीय कर हस्तांतरण

केंद्रीय करों में राज्यांश के घटकों को **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.11: केन्द्रीय करों में राज्यांश के विभिन्न घटकों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्रीय कर हस्तांतरण के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	सीमा शुल्क	2,285	1,910	3,864	2,249	2,385
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,589	1,199	2,098	706	903
3.	सेवा कर	-	150	701	89	13
4.	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	10,229	10,603	15,261	16,170	20,656
5.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	-	-	-	-	-
6.	निगम कर	12,291	10,711	16,172	19,192	20,430
7.	निगम कर से भिन्न आय पर कर	9,631	10,978	15,877	18,730	23,593
8.	धन कर	1	-	4	-	-
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	23	25	54	95	83
10.	अन्य	-	-	-[5]	-	-
11.	**कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण (1 से 10)**	**36,049**	**35,576**	**54,031**	**57,231**	**68,063**
12.	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता	(-)13.87	(-)1.31	51.87	5.92	18.93
13.	केन्द्रीय कर हस्तांतरण की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	25.73	26.49	29.38	29.35	33.49

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण राजस्व प्राप्तियों का 33.49 प्रतिशत था। पांच वर्ष की अवधि 2019-24 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण 17.22 प्रतिशत की सीएजीआर से वर्ष 2019-20 के ₹ 36,049 करोड़ से 88.81 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 68,063 करोड़ हो गया।

5. ₹ 0.11 करोड़

वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण में गत वर्ष की तुलना में 18.93 प्रतिशत (₹ 10,832 करोड़) वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर से अतिरिक्त अन्य आय पर कर में ₹ 4,863 करोड़ (25.96 प्रतिशत), सीजीएसटी में ₹ 4,486 करोड़ (27.74 प्रतिशत) एवं निगम कर में ₹ 1,238 करोड़ (6.45 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई।

भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान **तालिका 2.12** में वर्णित है:

तालिका 2.12: भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें (सीएसएस)	14,966	12,595	14,965	14,554	14,263
2.	वित्त आयोग अनुदान	7,332	6,237	17,211	10,508	5,591
3.	विधानमंडल वाले राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	6,808	5,964	4,150	4,784	2,593
	भारत सरकार से कुल सहायतार्थ अनुदान	**29,106**	**24,796**	**36,326**	**29,846**	**22,447**
4.	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता	45.26	(-)14.81	46.50	(-)17.84	(-) 24.79
5.	राजस्व प्राप्तियों से सहायतार्थ अनुदान की प्रतिशतता	20.77	18.46	19.75	15.31	11.04

स्रोतः वित्त लेखे

भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान में वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 7,398 करोड़ (24.79 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान सहायतार्थ अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 11.04 प्रतिशत था। राज्य को केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 14,263 करोड़) वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 63.54 प्रतिशत था। पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुदान में मुख्य रूप से स्थानीय निकायों के लिए सहायतार्थ अनुदान (₹ 3,801 करोड़) तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए सहायता सहित राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) (₹ 1,790 करोड़) का सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, अन्य अनुदानों में जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति (₹ 1,398 करोड़) शामिल है।

एकल नोडल एजेंसी को धन का हस्तानान्तरण (एसएनए)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधियां जारी करने तथा एकल नोडल एजेंसी के माध्यम से जारी निधियों के उपयोग के अनुश्रवण के लिए प्रक्रिया अधिसूचित (मार्च 2021) की थी। प्रत्येक सीएसएस के लिए, राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के बैंक खाते के साथ एकल नोडल एजेंसी की स्थापना की जानी

है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने लेखों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को राज्यांश के साथ संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तानांतरित करना होता है।

राज्य सरकार को अपने कोषालय खातों में 2023-24 के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 12,954.28 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 को, सरकार द्वारा कोषालय खातों में प्राप्त हुए केंद्रीय अंश ₹ 12,712.31 करोड़ (पिछले शेष सहित) तथा राज्यांश के रूप में ₹ 11,388.55 करोड़ एकल नोडल एजेन्सियों को हस्तान्तरित किये गये। कुल हस्तानांतरित ₹ 24,100.86 करोड़ में से, ₹ 12,880.02 करोड़ सहायतार्थ अनुदान बिलों के माध्यम से, ₹ 6,760.47 करोड़ परिपूर्ण आकस्मिक बिलों के माध्यम से, ₹ 3,944.52 करोड़ निजी निक्षेप खातों के माध्यम से तथा ₹ 515.85 करोड़ वर्क्स अकाउंटिंग मॉड्यूल (डब्ल्यूएएम) के माध्यम से हस्तांतरित किए गए।

एकल नोडल एजेंसी से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर एवं सहायक दस्तावेज महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली की एकल नोडल एजेंसी-01 रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 तक एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 4,713.71 करोड़ बिना व्यय किये पड़े थे, जो कि सरकारी लेखों के दायरे से बाहर है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए नवंबर 2020 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पन्द्रहवें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को मिलियन प्लस शहरों/शहरी समूहों में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से अनुदान तथा आपदा प्रबन्धन अनुदान के बाद निधियों के अनुदान/हस्तांतरण की सिफारिश की। पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए राजस्थान को ₹ 59,374 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान की सिफारिश की। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी और राज्य द्वारा आगे हस्तांतरण की स्थिति नीचे **तालिका 2.13** में दी गई है:

तालिका 2.13: सहायतार्थ अनुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी की गई और हस्तांतरित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा		भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को वास्तविक जारी	राजस्थान सरकार द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को जारी
		2021-26	2023-24	2023-24	2023-24
1.	**स्थानीय सरकार के लिए अनुदान**	**22,749.00**	**4,529.00**	**3,800.95**	**3,637.68**
	(i) ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान	**15,053.00**	**2,989.00**	**2,795.94**	**2,810.18**
	(अ) मूल अनुदान (अनटाईड)	6,021.20	1,195.60	1,118.38	1,118.38
	(ब) टाईड अनुदान	9,031.80	1,793.40	1,677.56	1,691.80[#]
	(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	7,696.00	1,540.00	1,005.01	827.50
	क. नॉन मिलियन प्लस शहर	**5,369.00**	**1,074.00**	**374.50**	**508.00**
	(अ) मूल अनुदान (अनटाईड)	2,147.60	429.60	149.80	203.20[$]
	(ब) टाईड अनुदान	3,221.40	644.40	224.70	304.80[$]

क्र. स.	अनुदान का नाम	पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा		भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को वास्तविक जारी	राजस्थान सरकार द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को जारी
		2021-26	2023-24	2023-24	2023-24
	ख. मिलियन प्लस शहर (जयपुर, जोधपुर एवं कोटा)	**2,327.00**	**466.00**	**630.51**	**319.50**
	(अ) वायु गुणवत्ता	774.00	155.00	25.50	25.50
	(ब) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/सफाई	1,553.00	311.00	605.01##	294.00##
2.	**स्वास्थ्य अवसंरचना (ग्रामीण)**	**4,423.06**	**874.54**	**0**	**-**
3.	**आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान (केंद्र सरकार का अंश 75%)**	**8,186.00**	**1,634.00**	**1,789.60**	**1,781.80***
	(अ) राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)			1,307.20	1,307.20
	(ब) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ)			482.40	474.60
4.	**योग (1+2+3)**	**35,358.06**	**7,037.54**	**5,590.55**	**5,419.48**
5.	**राजस्व घाटा अनुदान**	**14,740.00**	**0**	**0**	**0**
6.	**अन्य****	**9,276.00**	**0**	**0**	**0**
	महायोग (4+5+6)	**59,374.06**	**7,037.54**	**5,590.55**	**5,419.48**

स्रोतः पन्द्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, राज्य के वित्त लेखे एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

इसमें 2022-23 के लिए 31-03-2023 को भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित तथा राजस्थान सरकार द्वारा 20-04-2023 को जारी ₹ 887.10 करोड़ (टाईड अनुदान की दूसरी किस्त) का अनुदान शामिल है।

$ *वर्ष के दौरान जारी की गई राशि पिछले वर्षों से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा चालू वर्ष के लिए जारी की गई राशि राजस्थान सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान जारी नहीं की गई।*

इसमें भारत सरकार द्वारा 2022-23 से सम्बन्धित 19-05-2023 को हस्तांतरित तथा राजस्थान सरकार द्वारा 02-06-2023 को जारी ₹ 294.00 करोड़ अनुदान शामिल है।

* *इसमें भारत सरकार द्वारा आपदा न्यूनीकरण निधि की वर्ष 2022-23 से सम्बंधित 31.03.2023 एवं 16.05.2023 को हस्तांतरित एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 01.05.2023 एवं 01.06.2023 को जारी की गई अनुदान राशि ₹ 311.20 करोड़ (प्रथम एवं द्वितीय किश्त प्रत्येक ₹ 155.60 करोड़) शामिल है।*

** *भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य, पीएमजीएसवाई सड़क के रखरखाव, सांख्यिकी, न्यायपालिका, उच्च शिक्षा, कृषि और राज्य विशिष्ट अनुदान से सम्बंधित अनुदान जारी नहीं किये गये थे।*

पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना, आपदा प्रबंधन, वायु गुणवत्ता में सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/सफाई आदि के लिए ₹ 7,037.54 करोड़ आवंटित की जानी थी। इसके विपरीत, लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान सरकार को ₹ 5,590.55 करोड़ की राशि जारी की गई। इस प्रकार, वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 1,446 करोड़ का कम हस्तान्तरण था। अनुदान की कम जारी करने का कारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना था जैसाकि निदेशालय, स्थानीय निकाय, राजस्थान द्वारा सूचित किया गया।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष को ₹ 5,419.48 करोड़ जारी/स्थानांतरित किए। स्वास्थ्य अवसंरचना अनुदान जारी करने के संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 2024)।

पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य, केंद्र सरकार से प्राप्ति के 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायतार्थ अनुदान हस्तांतरित करेगा। 10 कार्य दिवसों से अधिक की

देरी के लिए राज्य सरकार को गत वर्ष के लिए बाजार उधार/राज्य विकास ऋण पर औसत ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज के साथ अनुदान जारी करना होगा।

यह देखा गया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 2022-23 से संबंधित पन्द्रहवें वित्त आयोग की अन-टाईड और टाईड अनुदान की दूसरी किश्त जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को क्रमशः तीन और ग्यारह दिनों की देरी से हस्तांतरित की, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2023-24 के दौरान ₹ 9.22 करोड़ का ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आतंरिक स्रोतों से निवल ऋण प्राप्तियाँ तथा भारत सरकार से निवल ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। निवल पूंजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण के निर्वहन के बाद निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल होती हैं।

निवल पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्तियों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.14: निवल पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	पूंजीगत प्राप्तियाँ	**41,831**	**49,328**	**47,640**	**35,264**	**58,687**
1.	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20	14	31	16	14
2.	ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ	15,670	373	2,374	420	405
3.	निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	26,141	48,941	45,235	34,828	58,268
4.	*आंतरिक ऋण*	*22,766*	*42,712*	*37,018*	*29,154*	*48,896*
5.	वृद्धि दर	19.39	87.61	(-)13.34	(-)21.24	67.72
6.	*भारत सरकार से ऋण और अग्रिम*	*3,375*	*6,229*	*8,217*	*5,674*	*9,372*
7.	वृद्धि दर	81.07	84.56	31.92	(-)30.95	65.17
8.	निवल लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	24.89	87.22	(-) 7.57	(-)23.01	67.30
9.	गैर ऋण पूंजीगत-प्राप्तियों की वृद्धि दर	3.37	(-)97.53	521.45	(-)81.87	(-)3.90
10.	पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.84	17.92	(-)3.42	(-)25.98	66.42

स्रोतः वित्त लेखे और एमओएसपीआई, भारत सरकार

पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2022-23 में ₹ 35,264 करोड़ से 66.42 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि से वर्ष 2023-24 में ₹ 58,687 करोड़ हो गई। वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियाँ 83.32 प्रतिशत निवल आंतरिक ऋणों से तथा 15.97 प्रतिशत भारत सरकार से निवल ऋण तथा अग्रिमों से आयी। वर्ष 2023-24 के दौरान आंतरिक ऋण में 67.72 प्रतिशत की वृद्धि गत वर्ष की तुलना में बाजार ऋण और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में 65.17 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।

2.3.4 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

जैसाकि केंद्रीय करों और सहायतार्थ अनुदानों में राज्य की हिस्सेदारी का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है, राज्य के संसाधन जुटाने में प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों जिसमें कर एवं कर-भिन्न संसाधन सम्मिलित है, के संन्दर्भ में किया गया है।

राज्य के वास्तविक स्व-कर और कर-भिन्न राजस्व के साथ-साथ बजट अनुमानों को **तालिका 2.15** में दिया गया है:

तालिका 2.15: वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के स्व-कर तथा कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमानों से वास्तविक का प्रतिशत विचलन
1.	स्व-कर राजस्व	1,14,169	94,086	(-) 17.59
2.	कर-भिन्न राजस्व	24,285	18,680	(-) 23.08

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

स्व-कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से क्रमशः 17.59 प्रतिशत (₹ 20,083 करोड़) तथा 23.08 प्रतिशत (₹ 5,605 करोड़) कम थी, जो राज्य द्वारा संसाधनों को जुटाने में कमी को दर्शाता है।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार पर राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के दायरे में व्यय करने की जिम्मेदारी निहित है, जबकि साथ ही सुनिश्चित करना होता है कि राज्य में जारी राजकोषीय सुधार एवं एकीकरण प्रक्रिया कहीं पूँजीगत आधारभूत ढाँचे तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय की कीमत पर तो नहीं है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संयोजन

तालिका 2.16 'आर्थिक वर्गीकरण' के संदर्भ में इसके संयोजन को दर्शाते हुए पाँच वर्षों (2019-24) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.16: कुल व्यय तथा उसके संयोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	कुल व्यय	1,93,458	1,94,071	2,34,563	2,46,452	2,69,275
2.	राजस्व व्यय	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231
3.	पूंजीगत परिव्यय	14,718	15,271	24,152	19,798	26,646

क्र.सं.	मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
4.	ऋण एवं अग्रिम	2,255	491	621	175	398
	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में					
5.	कुल व्यय/जीएसडीपी	19.35	19.07	19.63	18.15	17.62
6.	राजस्व व्यय/जीएसडीपी	17.65	17.52	17.56	16.68	15.85
7.	पूंजीगत परिव्यय /जीएसडीपी	1.47	1.50	2.02	1.46	1.74
8.	ऋण एवं अग्रिम/जीएसडीपी	0.23	0.05	0.05	0.01	0.03

स्रोतः वित्त लेखे

तालिका दर्शाती है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2019-20 में ₹ 1,93,458 करोड़ से 39.19 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 2,69,275 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 9.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान कुल व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 17.62 प्रतिशत से 19.63 प्रतिशत के मध्य रहा। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय की वृद्धि दर (9.26 प्रतिशत) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के कुल व्यय की औसत वृद्धि दर 10.56 प्रतिशत से कम थी ***(परिशिष्ट 1.2)***।

चार्ट 2.8: कुल व्ययः इसके घटकों की प्रवृत्तियाँ

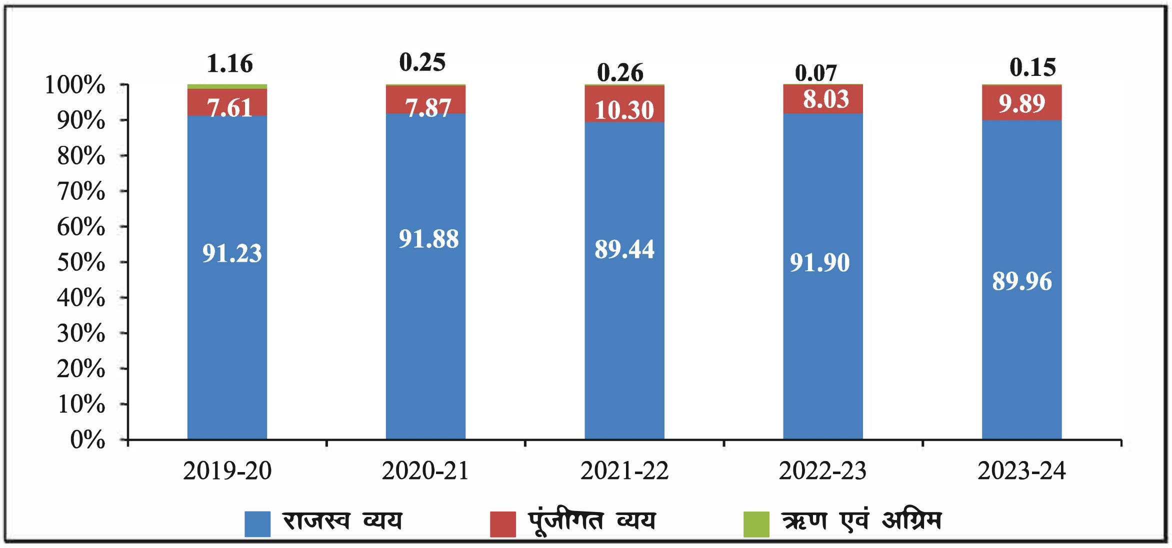

स्रोतः वित्त लेखे

उपरोक्त **चार्ट 2.8** से यह स्पष्ट है कि राजस्व व्यय 2019-24 के दौरान कुल व्यय का 89.44 प्रतिशत से 91.90 प्रतिशत के मध्य रहा।

गतिविधियों के सन्दर्भ में, कुल व्यय को ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायतार्थ अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय से संगठित माना जा सकता है।

तालिका 2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष घटक

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	सामान्य सेवायें	29.28	31.20	28.09	29.38	29.00
2.	सामाजिक सेवायें	38.16	42.07	40.93	40.18	41.53
3.	आर्थिक सेवायें	31.40	26.48	30.72	30.37	29.32
4.	अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	1.16	0.25	0.26	0.07	0.15

स्रोतः वित्त लेखे।

चार्ट 2.9: कुल व्यय गतिविधियों द्वारा व्यय

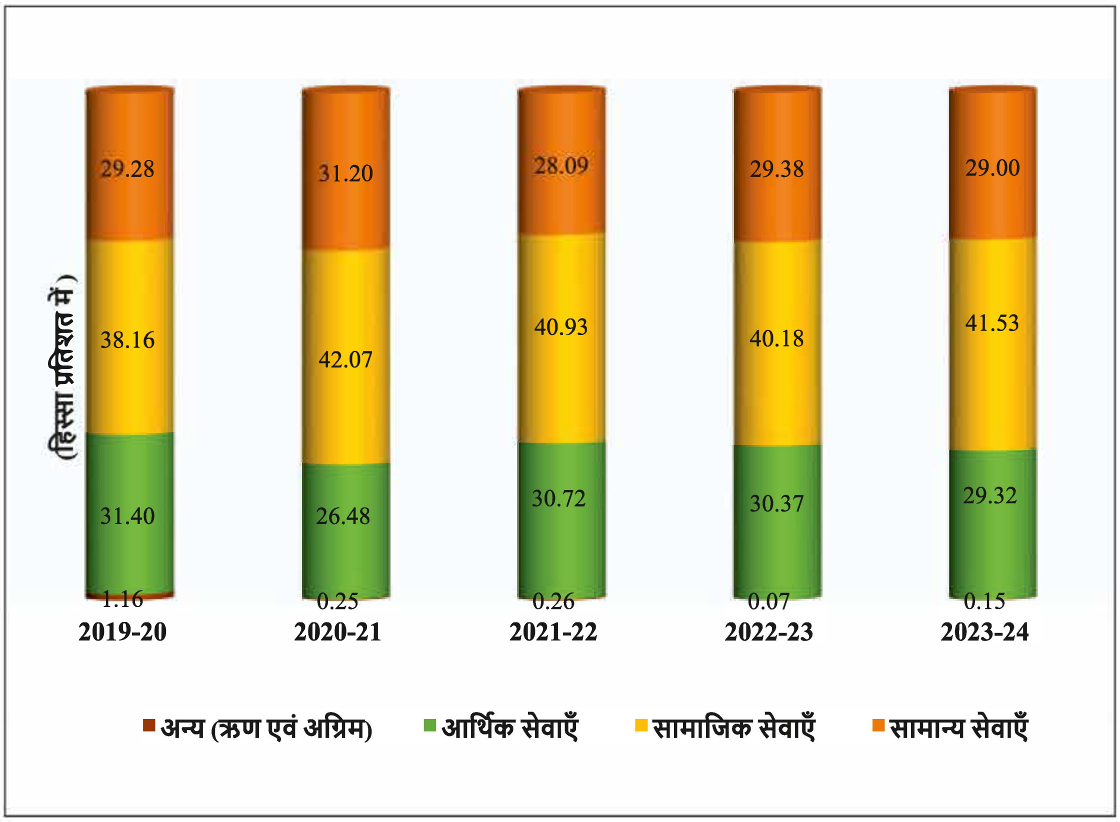

चार्ट 2.9 एवं **तालिका 2.17** दर्शाती है कि 2023-24 में कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं तथा ऋण एवं अग्रिमों का सापेक्ष अंश 2022-23 की तुलना में बढ़ा है। सामान्य एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय के अंश में गत वर्ष की तुलना में कमी आई। **चार्ट 2.10** कार्यकलाप के आधार पर समेकित निधि से व्यय के संयोजन को दर्शाता है।

चार्ट 2.10: वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यकलाप-वार समेकित निधि से व्यय का संयोजन

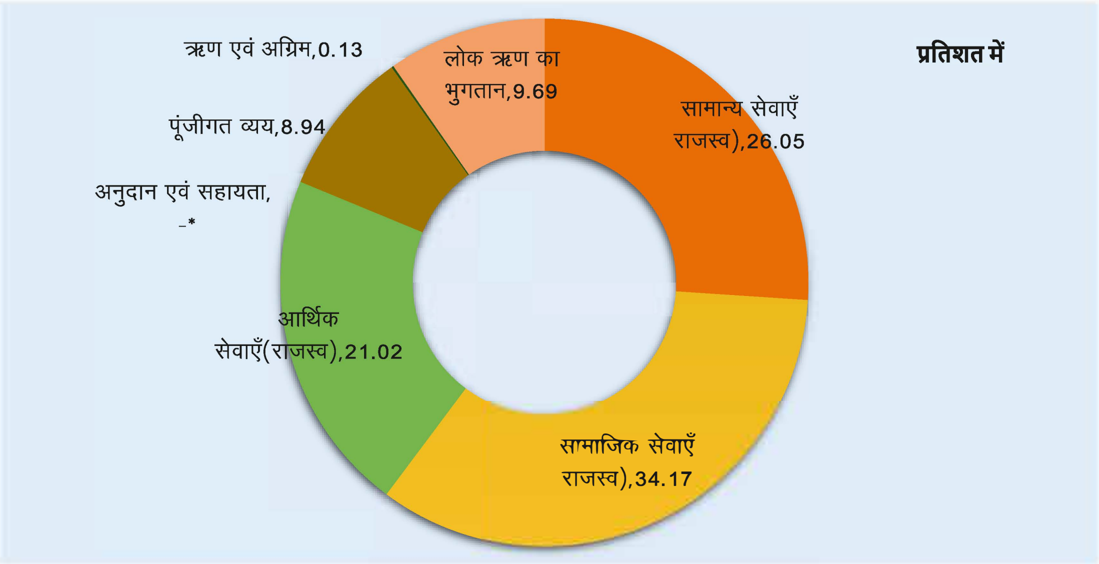

स्रोतः वित्त लेखे

* मात्र ₹0.05 करोड़

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता है। गत पांच वर्षों के लिये कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर तथा जीएसडीपी से अनुपात को **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है। राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण **चार्ट 2.11** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.18: राजस्व व्यय आधार मापदंड

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	कुल व्यय	1,93,458	1,94,071	2,34,563	2,46,452	2,69,275
2.	राजस्व व्यय	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231
3.	राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.82	1.03	17.66	7.96	6.96
4.	राजस्व व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	91.23	91.88	89.44	91.90	89.96
5.	राजस्व व्यय/जीएसडीपी (प्रतिशत)	17.67	17.49	17.22	16.02	15.85
6.	राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	125.96	132.76	114.07	116.15	119.16

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 89.96 प्रतिशत था। यह वर्ष 2019-20 में ₹ 1,76,485 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 2,42,231 करोड़ हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में 6.96 प्रतिशत (₹ 15,752 करोड़) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान सभी वर्षों में राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में 100 प्रतिशत से अधिक था, जो

दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप घाटा हुआ।

चार्ट 2.11: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

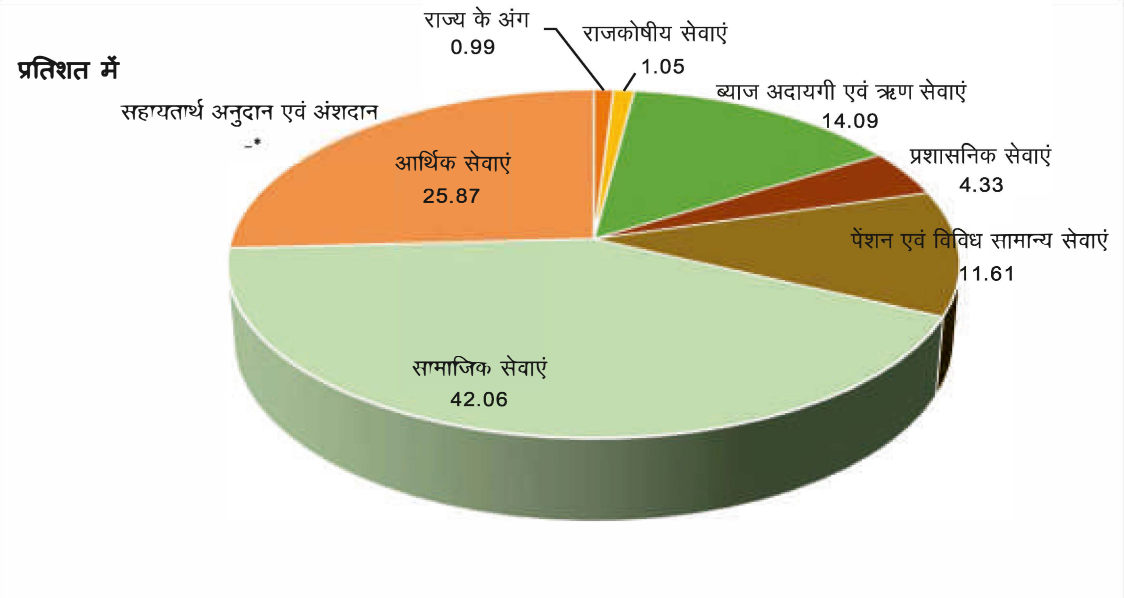

स्रोतः वित्त लेखे

* मात्र ₹ 0.05 करोड़

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष एवं गत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण **तालिका 2.19** में दिया गया है:

तालिका 2.19: वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि/कमी (-)
1.	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	10,144.84	14,931.41	4,786.57
2.	2202- सामान्य शिक्षा	43,705.47	48,435.25	4,729.78
3.	2049 -ब्याज अदायगी	30,601.88	34,127.78	3,525.90
4.	2801- बिजली	24,515.15	27,037.97	2,522.82
5.	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	25,381.00	27,203.19	1,822.19
6.	3454-जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	866.50	2,615.11	1,748.61
7.	2211- परिवार कल्याण	2,999.87	4,338.61	1,338.74
8.	2505- ग्रामीण रोजगार	6,435.90	1,968.68	(-) 4,467.22
9.	3451- सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	4,023.10	57.14	(-) 3,965.96

स्रोतः वित्त लेखे

तालिका दर्शाती है कि वर्ष के दौरान 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य', 'सामान्य शिक्षा', 'ब्याज अदायगी, 'बिजली', 'पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ', 'जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी' तथा 'परिवार कल्याण' के तहत राजस्व व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज अदायगी, वेतन एवं मजदूरी तथा पेंशन पर व्यय शामिल हैं। यह सरकारी संसाधनों पर प्रथम प्रभार है।

उपरोक्त के अलावा, अलोचनीय व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें आम तौर पर बदला या कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है यह वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं जो परिवर्तनीय लेनदेन से भिन्न है जैसे पूंजीगत व्यय, आदि। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अलोचनीय व्यय के रूप में माना जा सकता है:

(i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण- राज्य वेतन और भत्तों (पूंजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण) के लिए स्थानीय निकायों (केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग) को वैधानिक हस्तांतरण करता है।

(ii) आरक्षित निधि में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएं- गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा शमन/मोचन निधि (एसडीएमएफ/एसडीआरएफ), राज्य सड़क एवं सेतु निधि आदि।

(iii) आकस्मिकता निधि का पुनर्भुगतान - वर्ष के भीतर पुनर्भुगतान की गई राशि।

(iv) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय को हस्तानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है।

(v) प्राप्त केंद्रीय निधि के सापेक्ष सीएसएस का अंशदान- राज्य व्यय की राशि और राज्य की समेकित निधि में प्राप्त केंद्रीय अंश को एकल नोडल एजेंसी को हस्तांतरित किया गया/राज्य द्वारा व्यय।

(vi) ब्याज वाली निधियों के शेष पर ब्याज का भुगतान जैसे अगर उन्हें निवेश किया जा सकता था।

प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास पहलों के लिए कम संसाधन रह जाते हैं। प्रतिबद्ध एवं अलोचनीय व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण तथा इसके घटकों को **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है तथा राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध के अंश को **चार्ट 2.12** में दिखाया गया है।

तालिका 2.20: प्रतिबद्ध एवं अलोचनीय व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	वेतन एवं मजदूरी	49,066	51,619	57,118	59,774	65,399
2.	पेंशन पर व्यय	20,761	22,440	23,391	25,381	27,203
3.	ब्याज अदायगी	23,643	25,202	28,100	30,602	34,128
4.	**योग**	**93,470**	**99,261**	**1,08,609**	**1,15,757**	**1,26,730**

क्र.सं.	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
5.	**अलोचनीय व्यय के घटक**					
6.	स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	7,207	8,959	10,873	9,277	7,024
	(अ) केन्द्रीय वित्त आयोग	**6,327**	**4,755**	**5,195**	**4,069**	**3,638**
	(ब) राज्य वित्त आयोग	**880**	**4,204**	**5,678**	**5,208**	**3,386**
7.	आरक्षित निधि में योगदान	4,608	4,377	4,884	6,229	7105
8.	आकस्मिकता निधि का पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-
9.	उपकर का आरक्षित निधि/अन्य निकाय को हस्तांतरण	1,735	1,638	4,532	5,637	6,762
10.	प्राप्त केंद्रीय निधि के समक्ष केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का अंश	28,278	29,172	42,634	43,205	29,042
	(अ) केन्द्रीय अंश	**14,546**	**12,454**	**14,817**	**13,717**	**13,532**
	(ब) राज्य अंश	**13,732**	**16,718**	**27,817**	**29,488**	**15,510**
11.	ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था	42	144	328	177	337
12.	**योग**	**41,870**	**44,290**	**63,251**	**64,525**	**50,270**
13.	**राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में**					
14.	**प्रतिबद्ध व्यय**					
15.	वेतन एवं मजदूरी	35.02	38.43	31.05	30.66	32.17
16.	पेंशन पर व्यय	14.82	16.71	12.73	13.02	13.38
17.	ब्याज अदायगी	16.87	18.76	15.28	15.69	16.79
18.	**योग**	**66.71**	**73.90**	**59.05**	**59.37**	**62.34**
19.	**अलोचनीय व्यय**					
20.	**योग**	**29.88**	**32.98**	**34.39**	**33.09**	**24.73**
21.	**राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में**					
22.	**प्रतिबद्ध व्यय**					
23.	वेतन एवं मजदूरी	27.80	28.95	27.23	26.39	27.00
24.	पेंशन पर व्यय	11.76	12.58	11.15	11.21	11.23
25.	ब्याज अदायगी	13.40	14.13	13.39	13.51	14.09
26.	**योग**	**52.96**	**55.66**	**51.77**	**51.11**	**52.32**
27.	**अलोचनीय व्यय**					
28.	**योग**	**23.72**	**24.84**	**30.15**	**28.49**	**20.75**
29.	**गैर-प्रतिबद्ध राजस्व व्यय**	**83,015**	**79,048**	**1,01,181**	**1,10,722**	**1,15,501**
30.	राजस्व व्यय का प्रतिशत	47.04	44.34	48.23	48.89	47.68
31.	कुल व्यय का प्रतिशत	42.91	40.73	43.14	44.93	42.89
32.	**अर्थ-सहाय्य**	**18,990**	**14,828**	**23,364**	**26,166**	**28,402**
33.	गैर-प्रतिबद्ध व्यय के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य	22.88	18.76	23.09	23.63	24.59

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 2.12: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश

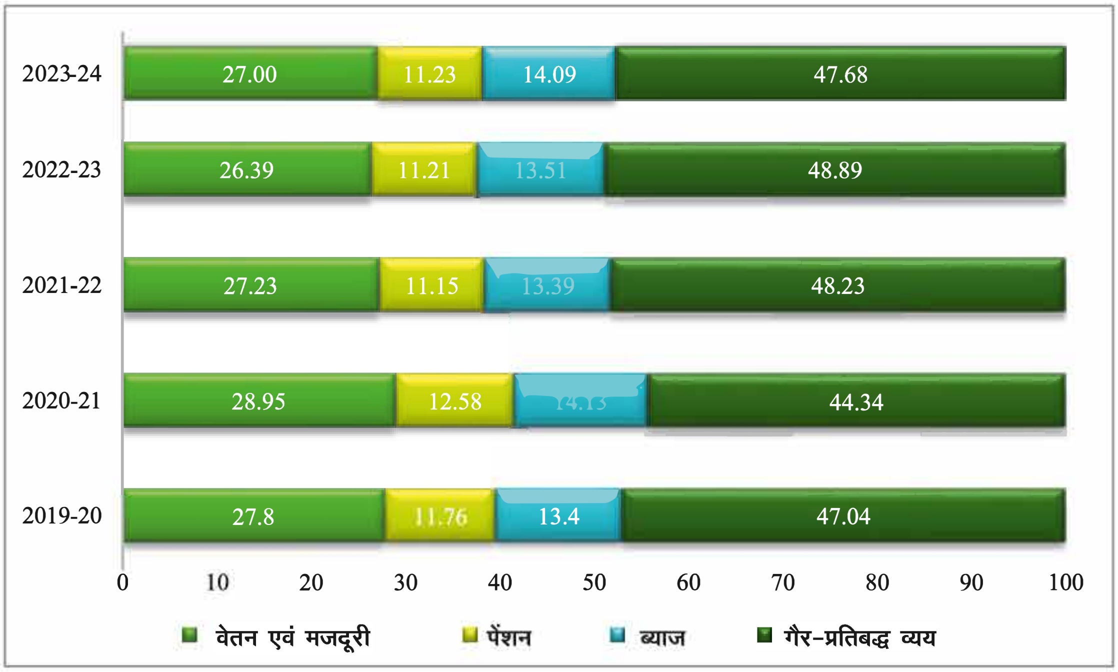

राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश 2019-20 में 52.96 प्रतिशत से मामूली कम होकर 2023-24 में 52.32 प्रतिशत रह गया, जबकि, यह गत वर्ष (51.11 प्रतिशत) की तुलना में बढ़ा है। प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 2019-20 में 66.71 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 62.34 प्रतिशत रह गया, हालांकि यह गत वर्ष (59.37 प्रतिशत) से बढ़ा है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का 62.34 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय के लिए व्यय किया जाता है।

वेतन और मजदूरी

वेतन और मजदूरी पर व्यय 2019-20 के ₹ 49,066 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 65,399 करोड़ हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान वेतन और मजदूरी पर व्यय में गत वर्ष की तुलना में 9.41 प्रतिशत की वृद्धि रही, जो पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर (7.52 प्रतिशत) से अधिक थी (***परिशिष्ट 1.2***)।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान पर व्यय 2019-20 में ₹ 20,761 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 27,203 करोड़[6] हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय गत वर्ष की तुलना में 7.18 प्रतिशत बढ़ गया। पेंशन

6. इसमें 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों के "पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों" पर वर्ष के दौरान व्यय ₹ 27,199.37 करोड़ तथा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए ₹ 3.82 करोड़ का सरकारी अंशदान शामिल है।

भुगतान में वृद्धि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत (6.27 प्रतिशत) से अधिक थी *(परिशिष्ट 1.2)*। राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2023-24 के दौरान कुल राजस्व व्यय का 11.23 प्रतिशत (2022-23 में 11.21 प्रतिशत) था।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान 2019-20 के ₹ 23,643 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 34,128 करोड़ हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान ब्याज भुगतान में गत वर्ष (₹ 30,602 करोड़) की तुलना में 11.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः बाजार ऋण में ₹ 48,896 करोड़ की वृद्धि के कारण था।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करता है। राज्य की ब्याज अदायगियों का कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात वर्ष 2023-24 के लिए 16.79 प्रतिशत था, जो गत वर्ष (15.69 प्रतिशत) से अधिक था।

अलोचनीय व्यय

अलोचनीय व्यय के घटकों जिसमें अन्यों के साथ, प्राप्त केंद्रीय निधि के समक्ष सीएसएस योगदान का राज्य तथा केंद्रीय अंश, स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण, आरक्षित निधि में योगदान तथा आरक्षित निधि/अन्य निकाय को उपकर का स्थानांतरण शामिल है। अलोचनीय व्यय में वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि देखी गई, हालांकि, यह गत वर्ष की तुलना में ₹ 64,525 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 50,175 करोड़ रह गया। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अलोचनीय व्यय 2022-23 में 28.49 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 20.75 प्रतिशत रह गया।

2.4.2.3 अर्थ-सहाय्य

पिछले पांच वर्षों 2019-24 की अवधि के दौरान अर्थ-सहाय्य का विवरण नीचे **तालिका 2.21** में दिया गया है:

तालिका 2.21: वर्ष 2019-24 के दौरान अर्थ-सहाय्य पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	अर्थ-सहाय्य	18,990	14,828	23,364	26,166	28,402
2.	अर्थ-सहाय्य राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	13.55 (1,40,114)	11.04 (1,34,308)	12.70 (1,83,920)	13.42 (1,94,988)	13.97 (2,03,276)
3.	अर्थ-सहाय्य राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	10.76 (1,76,485)	8.32 (1,78,309)	11.14 (2,09,790)	11.55 (2,26,479)	11.72 (2,42,231)
4.	अर्थ-सहाय्य राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में	52.21 (36,371)	33.70 (44,001)	90.31 (25,870)	83.09 (31,491)	72.91 (38,955)
5.	सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को दिया गया अर्थ-सहाय्य	18,644	14,264	22,644	25,405	27,038
6.	विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य के प्रतिशत के रूप में	98.18	96.20	96.92	97.09	95.20

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 2.13: अर्थ-सहाय्य और राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य

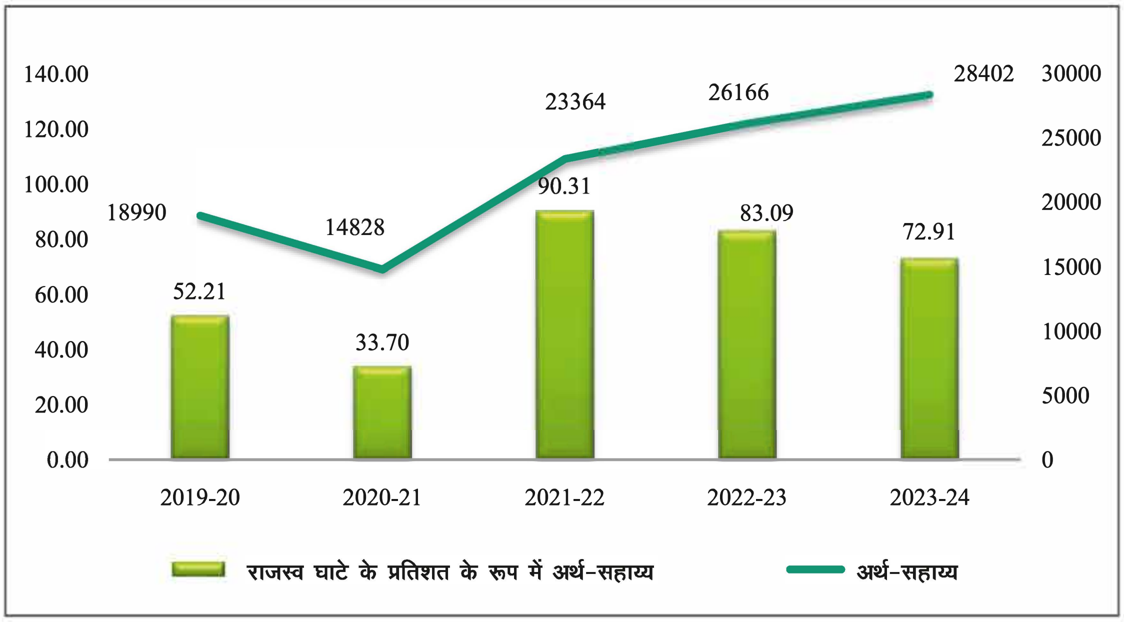

वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक अर्थ-सहाय्य में पूर्ण रूप से एवं राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में लगातार गिरावट रही है तथा उसके बाद इसमें लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य क्रमशः 13.97 तथा 11.72 प्रतिशत थी। अर्थ-सहाय्य पर भुगतान वर्ष 2023-24 के दौरान (₹ 28,402 करोड़) गत वर्ष (₹ 26,166 करोड़) से 8.55 प्रतिशत बढ़ गया।

राजस्थान सरकार के अर्थ-सहाय्य व्यय का सबसे बड़ा घटक विद्युत क्षेत्र को दी जाने वाली अर्थ-सहाय्य थी जो वर्ष के दौरान कुल अर्थ-सहाय्य का 95.20 प्रतिशत (₹ 27,038 करोड़) थी। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान विद्युत् क्षेत्र का अर्थ-सहाय्य राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई कुल अर्थ-सहाय्य का 95.20 प्रतिशत से 98.18 प्रतिशत के मध्य था। वर्ष 2023-24 के दौरान पावर सेक्टर को अर्थ-सहाय्य मुख्य रूप से पावर टैरिफ (₹ 21,800 करोड़) में वृद्धि न होने, घाटे के अधिग्रहण के लिए अनुदान (₹ 3,234 करोड़) और विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्य अनुदान (टैरिफ अनुदान) (₹1,857 करोड़) के कारण दी गई।

विद्युत क्षेत्र की अर्थ-सहाय्य (₹ 27,038 करोड़) में पिछले वर्ष (₹ 25,405 करोड़) की तुलना में 6.43 प्रतिशत (₹1,633 करोड़) की वृद्धि मुख्य रूप से घाटे के अधिग्रहण के लिए अनुदान में वृद्धि (₹1,436 करोड़) के कारण हुई।

वर्ष 2023-24 में अर्थ-सहाय्य के अन्य प्रमुख घटक फसल कृषि-कर्म (₹ 672 करोड़) और मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत अर्थ-सहाय्य (₹ 615 करोड़) थे।

2.4.2.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदानों और ऋणों के रूप में ₹ 48,328.54 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। वर्ष 2023-24 के दौरान, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में गत वर्ष (₹ 49,443.69 करोड़) की तुलना में 2.26 प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को कुल वित्तीय सहायता राजस्व व्यय के 19.95 प्रतिशत से 23.42 प्रतिशत के मध्य थी।

वर्ष 2019-24 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदान एवं ऋण के माध्यम से उपलब्ध करायी गई सहायता की मात्रा को **तालिका 2.22** में दिया गया है।

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	(अ) स्थानीय निकाय					
1.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	3,781.24	5,205.98	5,542.19	6,229.12	5,626.23
2.	पंचायती राज संस्थाएं	15,270.45	14,543.19	21,585.50	20,766.58	17,536.45
	योग (अ)	**19,051.69**	**19,749.17**	**27,127.69**	**26,995.70**	**23,162.68**
	(ब) अन्य					
3.	शैक्षिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इत्यादि)	1,487.70	1,267.73	1,393.81	1,892.14	2,213.56
4.	विकास अभिकरण	12.41	12.87	28.48	39.02	44.33
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	898.43	430.43	1,539.23	1,859.75	2,343.24
6.	अन्य संस्थान	19,574.59	18,284.48	19,037.44	18,657.08	20,564.73[7]
	योग (ब)	**21,973.13**	**19,995.51**	**21,998.96**	**22,447.99**	**25,165.86**
	योग (अ+ब)	**41,024.82**	**39,744.68**	**49,126.65**	**49,443.69**	**48,328.54**
7.	वेतन सहायतार्थ अनुदान	5,132.98	4,683.66	6,639.46	7,468.09	9,008.84
8.	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान	5,197.63	989.72	578.69	267.35	550.94
9.	गैर-वेतन सहायतार्थ अनुदान	30,686.40	34,041.57	41,905.84	41,708.25	38,768.76
10.	वस्तु के रूप में दिया गया सहायतार्थ अनुदान	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गयी				
11.	राजस्व व्यय	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231
12.	सहायता (अ+ब) राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	23.25	22.29	23.42	21.83	19.95

स्रोतः वित्त लेखे

7. इसमें मुख्यतः (i) सामान्य शिक्षाः ₹ 6,141.94 करोड़; (ii) परिवार कल्याणः ₹ 2,872.05 करोड़; (iii) फसल कृषि कर्म:₹ 2,389.77 करोड़; (iv) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहतः ₹ 1,569.65 करोड़; (v) पशुपालन ₹ 1,355.45 करोड़; (vi) सरकारी कंपनियां: ₹ 959.80 करोड़; (vii) सहकारी संस्थाएँ: ₹947.98 करोड़; (viii) वैधानिक निगम ₹ 746.62 करोड़; (ix) श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास ₹ 633.42 करोड़ और (x) बिक्री, व्यापार आदि पर करः ₹ 521.85 करोड़ के लिए दिये गये अनुदान शामिल है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2019-20 में ₹ 41,024.82 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 48,328.54 करोड़ हो गई है।

स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को कुल वित्तीय सहायता के संबंध में, 2023-24 के दौरान वेतन, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन तथा गैर-वेतन उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता का हिस्सा क्रमशः 18.64 प्रतिशत, 1.14 प्रतिशत और 80.22 प्रतिशत था।

वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय सहायता के प्रमुख प्राप्तकर्ता निम्नलिखित थे:

- पंचायत समितियों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए अनुदान (₹ 4,338.90 करोड़),
- ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (₹ 2,093.63 करोड़),
- जिला परिषदों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 1,826.33 करोड़),
- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को चुंगी प्रतिपूर्ति (₹ 1,497.38 करोड़),
- नगर निगमों को चुंगी प्रतिपूर्ति (₹ 1,402.62 करोड़),
- ग्राम पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान (₹ 1,285.52 करोड़),
- ग्राम पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान (निर्बंध) (₹ 1,272.71 करोड़),
- पंचायत समितियों को स्थापना हेतु तदर्थ सहायता (₹ 1,214.63 करोड़),
- जिला परिषदों को पालनहार योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों को सहायता (₹ 949.46 करोड़),
- जिला परिषदों को प्रधानमन्त्री आवास योजना-ग्रामीण (₹ 916.95 करोड़),
- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (₹ 679.78 करोड़),
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 574.11 करोड़)

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्यतः स्थायी आधारभूत सम्पत्तियों के सृजन जैसे सड़कों, भवनों आदि पर होने वाला व्यय है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किया गया निवेश भी शामिल है। वर्ष 2019-24 के दौरान समग्र पूंजीगत व्यय तथा इसकी कुल व्यय से प्रतिशतता को **चार्ट 2.14** में इंगित किया गया है।

चार्ट 2.14: राज्य में पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

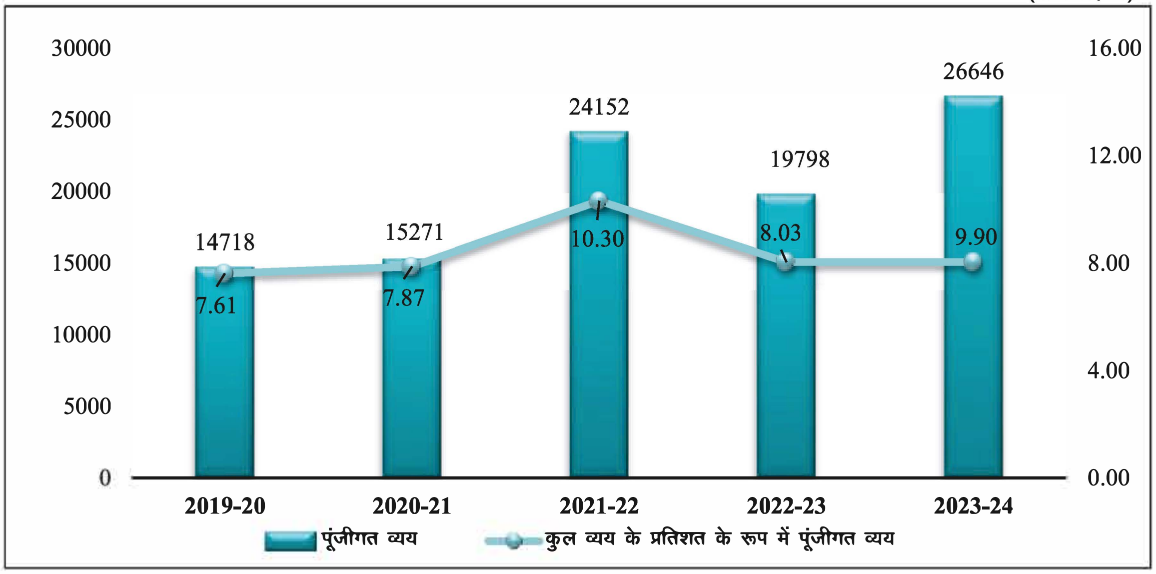

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.23 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी को दर्शाती है।

तालिका 2.23: वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि/ कमी (-)
1.	5054- सड़क एवं सेतु पर पूंजीगत परिव्यय	2,596.28	6,472.88	3,876.60
2.	4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,394.81	3,465.45	1,070.64
3.	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,372.73	3,176.16	803.43
4.	5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	24.00	648.49	624.49
5.	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,446.63	1,942.48	495.85
6.	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	586.57	986.91	400.34
7.	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,300.49	2,002.84	(-) 297.65
8.	4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	913.38	658.32	(-) 255.06

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान, पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 34.59 प्रतिशत (₹ 6,848 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सड़क एवं सेतु पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 3,877 करोड़), मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 1,071 करोड़), जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 803 करोड़) तथा सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 624 करोड़) के अंतर्गत हुई।

2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल और अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

(i) निवेश पर प्रतिफल

वित्त लेखे का विवरण पत्र 19, 31 मार्च 2024 को राज्य सरकार के निवेश का विवरण देता है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए कंपनियों, निगमों तथा सहकारी बैंकों, संयुक्त उद्यमों एवं समितियों में निवेश पर प्रतिफल की प्रवृत्तियाँ **तालिका 2.24** में दर्शायी गयी हैं:

तालिका 2.24: निवेश पर प्रतिफल

निवेश /प्रतिफल/उधारियों की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	52,208.91	52,784.40	56,475.10	59,291.41	61,778.42
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	54.47	2.89	87.48	28.71	50.71
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.10	0.01	0.15	0.05	0.08
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर[8] (प्रतिशत)	7.12	6.60	6.44	6.32	6.34
ब्याज दर एवं प्रतिफल में अंतर* (प्रतिशत)	7.02	6.59	6.29	6.27	6.26
सरकारी उधारियों पर ब्याज तथा निवेश पर प्रतिफल में अंतर# (₹ करोड़ में)	3,665.07	3,478.49	3,552.28	3,717.57	3867.33

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष के अंत में निवेश   * ब्याज दर एवं प्रतिफल में अंतर

वर्ष 2023-24 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल ₹ 50.71 करोड़ (0.08 प्रतिशत) था। वर्ष 2019-24 के दौरान प्रतिफल 0.01 प्रतिशत एवं 0.15 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान की गई औसत ब्याज दर 6.32 प्रतिशत से 7.12 प्रतिशत के मध्य थी। पिछले पांच वर्षों में, सरकारी उधार की लागत और वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त उद्यम/संयुक्त स्टॉक कंपनियों आदि में निवेश पर प्रतिफल में अंतर ₹18,280.74 करोड़ था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई अंश पूंजी में निवेश पर प्रतिफल पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण निर्धारक है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अलावा, सरकार कई संस्थानों/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋण एवं अग्रिम तथा गत पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियाँ **तालिका 2.25** में प्रदर्शित है:

8. सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयतायें की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयतायें)/2]*100

तालिका 2.25: संवितरित एवं वसूले गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	संवितरित एवं वसूले गए ऋणों की मात्रा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	**23,263**	**9,848**	**9,966**	**8,213**	**7,968**
2.	वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	2,255	491	621	175	398
3.	वर्ष के दौरान वसूली गयी राशि	15,670*	373	2,374	420	405
4.	बकाया ऋणों का अंतिम शेष	9,848	9,966	8,213	7,968	7,961
5.	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (संवितरित-वसूली)	(-)13,415	118	(-)1,753	(-)245	(-)7
6.	प्राप्त ब्याज	2,568	1,253	55	238	59
7.	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर।	15.51	12.65	0.61	2.94	0.74
8.	सरकार की बकाया उधारी पर भुगतान की गई ब्याज दर	7.12	6.60	6.44	6.32	6.34
9.	भुगतान की गई ब्याज दर एवं प्राप्त ब्याज की दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	(+) 8.39	(+) 6.05	(-)5.83	(-)3.38	(-) 5.60

स्रोतः वित्त लेखे।

* अंश पूंजी, अर्थ-सहाय्य एवं सहायतार्थ अनुदान में परिवर्तित ₹ 14,722 करोड़ के उदय ऋणों को शामिल करते हुए ।

31 मार्च 2024 को कुल ऋण एवं अग्रिम (₹ 7,961 करोड़) में विद्युत परियोजनाओं को दिए गए ₹ 4,297 करोड़ (53.97 प्रतिशत) के ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संवितरित ऋण एवं अग्रिम की राशि 2022-23 में ₹ 175 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 398 करोड़ (आर्थिक सेवाओं से सम्बंधित: ₹ 374 करोड़) हो गई।

(iii) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी की प्रवृत्तियों का आंकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के बारे में संकेत देता है। 31 मार्च 2024 तक अपूर्ण परियोजनाओं (प्रत्येक ₹10 करोड़ से अधिक) से संबंधित विभाग-वार सूचना **तालिका 2.26** तथा **तालिका 2.27** में दी गई है।

तालिका 2.26: 31 मार्च 2024 को अपूर्ण परियोजनाओं की आयु प्रोफाइल (₹ करोड़ में)

वर्ष (प्रारंभ)	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (संशोधित लागत सहित)	व्यय (31 मार्च 2024 को)
2014-15 तक	34	17,477.37	13,916.20
2015-16	0	0	0
2016-17	9	1,372.76	1,067.18
2017-18	16	5,787.69	4,199.42
2018-19	10	2,038.87	1,490.97
2019-20	5	95.73	60.65
2020-21	8	264.42	158.16
2021-22	73	7,632.36	3,581.44
2022-23	121	14,857.17	4,330.76
2023-24	265	14,734.47	1,729.05
योग	**541**	**64,260.84**	**30,533.83**

तालिका 2.27: 31 मार्च 2024 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार प्रोफाइल (₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (संशोधित लागत सहित)	व्यय (31 मार्च 2024 को)
जल संसाधन	110	19,026.27	12,753.87
सार्वजनिक निर्माण	350	10,456.43	3,930.73
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	81	34,778.14	13,849.23
योग	**541**	**64,260.84**	**30,533.83**

स्रोतः वित्त लेखे।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक 541 अपूर्ण परियोजनाएं (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थी, जिन पर ₹ 30,533.83 करोड़ व्यय किए गए जो राज्य के संचयी पूंजीगत परिव्यय (₹ 2,88,596.62 करोड़) का 10.58 प्रतिशत था।

अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि अवरूद्ध रहना व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है एवं राज्य की जनता इच्छित लाभ से वंचित रहती है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि से ऋण एवं ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा। इन सभी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि जनता तक लाभ पहुंच सके तथा आगे लागत वृद्धि से बचा जा सके।

2.4.3.3 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक व्यवस्था है, जो पर्याप्त एवं मात्रात्मक आधारभूत विकास गतिविधियों के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ काम करने योग्य बनाने के लिए ढांचा प्रदान करती है। निजी जन सहभागिता प्रकोष्ठ की स्थापना (जुलाई 2007) राज्य सरकार द्वारा आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई थी। यह राज्य सरकार के निजी जन सहभागिता के लिए किये गए सभी प्रयासों के समन्वय एवं अनुश्रवण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में तथा निजी जन सहभागिता परियोजनाओं से संबंधित सभी सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करता है।

निजी जन सहभागिता प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (मई 2024) के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक ₹ 17,790.59 करोड़ की 197 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी थी एवं ₹ 4,010.60 करोड़ की 28 परियोजनाएं प्रगतिरत थी। इसके अतिरिक्त, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित ₹ 11,508.90 करोड़ की 29 परियोजनाएं योजना के विभिन्न चरणों में हैं। पूर्ण हो चुकी, प्रगतिरत एवं भविष्य के लिए नियोजित निजी जन सहभागिता परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण **तालिका 2.28** में दिया गया है:

तालिका 2.28: निजी जन सहभागिता परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रगतिरत		भविष्य के लिए नियोजित	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	75	8,888.61	10	2,469.91	-	-
2.	शहरी आधारभूत संरचना	28	561.37	9	516.97	17	7,056.45
3.	विद्युत	15	7,449.37	5	1,005.45	4	1,631.92
4.	जल	1	46.00	-	-	1	365.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6.	सामाजिक	61	624.87	4	18.27	5	747.53
7.	अन्य	16	166.36	-	-	2	1,708.00
	योग	**197**	**17,790.59**	**28**	**4,010.60**	**29**	**11,508.90**

स्रोत: आयोजना विभाग द्वारा प्रदान करायी गई सूचना

वर्ष 2023-24 के बजट दस्तावेजों की संवीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि राज्य सरकार ने गत वर्ष के दौरान निजी जन सहभागिता परियोजनाओं में किये गये निवेश से संबंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अलावा, राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से उत्पन्न राजस्व को बजट दस्तावेज में निर्धारित (निजी क्षेत्र द्वारा भी) करना सम्भव नहीं था। वर्तमान वर्ष के लिए भी, राज्य सरकार से जुड़ी निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के संबंध में निजी तथा सरकारी क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले अनुमानित निवेश का बजट दस्तावेज़ में पृथक एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

2.4.4 व्यय की प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य को प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाना चाहिये। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी।

तालिका 2.29, वर्ष 2019-20 एवं 2023-24 के दौरान पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत की तुलना में राज्य सरकार के कुल व्यय, पूंजीगत व्यय, शिक्षा पर व्यय तथा स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है:

तालिका 2.29: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य के व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

क्र.सं.		कुल व्यय/ जीएसडीपी	ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा/कुल व्यय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/कुल व्यय
1.	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों का औसत 2019-20	15.88	14.02	15.79	5.25
2.	राजस्थान 2019-20	19.35	8.77	17.63	6.28
3.	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों का औसत 2023-24	15.66	16.50	14.36	5.71
4.	राजस्थान 2023-24	17.62	10.04	18.86	7.90

स्रोतः वित्त लेखे, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार।

तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्थान का पूंजीगत व्यय 2019-20 में पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत से कम था तथा 2023-24 में यह अंतर बढ़ गया है।
- राजस्थान लगातार पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत की तुलना में शिक्षा के प्रति कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अधिक संसाधन समर्पित कर रहा है एवं इसमें 2019-20 की तुलना में 2023-24 में वृद्धि हुई है।
- कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्थान का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व्यय 2019-20 एवं 2023-24 में पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत से अधिक था।

2.4.5 कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय

कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय, व्यय के विशिष्ट प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है।

चार्ट 2.15: वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय

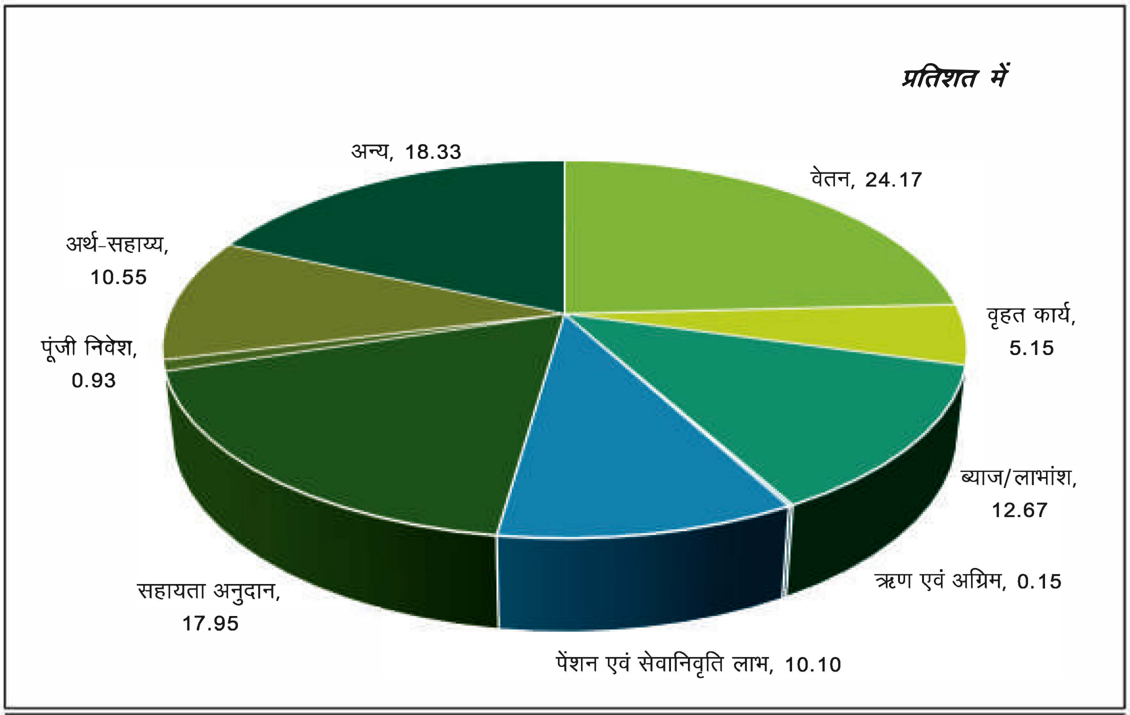

स्रोतः वित्त लेखे।

वर्ष 2023-24 के दौरान वेतन, पेंशन तथा ब्याज/लाभांश पर व्यय कुल व्यय का 46.94 प्रतिशत था।

2.5 लोक लेखा

कुछ संव्यवहारों जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के भाग नहीं है को संविधान की धारा 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं होता है। सरकार इन संव्यवहारों के संबंध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरणों के पश्चात शेष निधियाँ विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध रहती हैं।

2.5.1 लोक लेखा निवल शेष

पिछले पांच वर्षों के दौरान लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष **तालिका 2.30** में दिये गये हैं।

तालिका 2.30: 31 मार्च को लोक लेखा में घटक वार निवल शेष*

(₹ करोड़ में)

क्र.स	क्षेत्र	उपक्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	I. अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ , इत्यादि	**3,991**	**4,857**	**2,461**	**5,337**	**6,097**
2.	J. आरक्षित निधियाँ	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	3,094	697	188	628	1,046
		(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	1,236	664	1,156	1843	2,342
		उप-योग	**4,330**	**1,361**	**1,344**	**2,471**	**3,388**
3.	K. जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमायें	2,150	3,604	2,181	4,853	1,466
		(ख) बिना ब्याज वाली जमायें	2,875	(-) 733	5,280	(-) 3,405	(-)877
		(ग) अग्रिम	-	-	-	-	-
		उप-योग	**5,025**	**2,871**	**7,461**	**1,448**	**589**
4.	L. उचंत एवं विविध	(क) उचंत	105	125	(-)72	(-) 41	126
		(ख) अन्य लेखे	(-) 19	(-) 9	(-) 9	(-) 11	(-)6
		(ग) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे	-	-	-	-	-
		(घ) विविध	-	-	-	-	-
		उप-योग	**86**	**116**	**(-) 81**	**(-) 52**	**120**
5.	M. प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	4	-	-	**(-) 1**	(-)9
		(ख) अंतर सरकारी समायोजन लेखा	(-) 12	12	-	-	-
		उप-योग	**(-) 8**	**12**	**-**	**(-) 1**	**(-)9**
		योग	**13,424**	**9,217**	**11,185**	**9,203**	**10,185**

स्रोतः वित्त लेखे

* *निवल शेष का अर्थ वर्ष के दौरान सम्बंधित मद के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों में अन्तर है।*

राज्य की निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2019-20 में ₹ 13,424 करोड़ से घटकर वर्ष 2023-24 में ₹ 10,185 करोड़ रह गई जबकि निवल लोक लेखा प्राप्तियों में गत वर्ष (₹ 9,203 करोड़) की तुलना में 10.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे लोक लेखे में सरकार की देनदारी बढ़ गई।

चार्ट 2.16: लोक लेखा शेषों के संयोजन में वार्षिक बदलाव

(₹ करोड़ में)

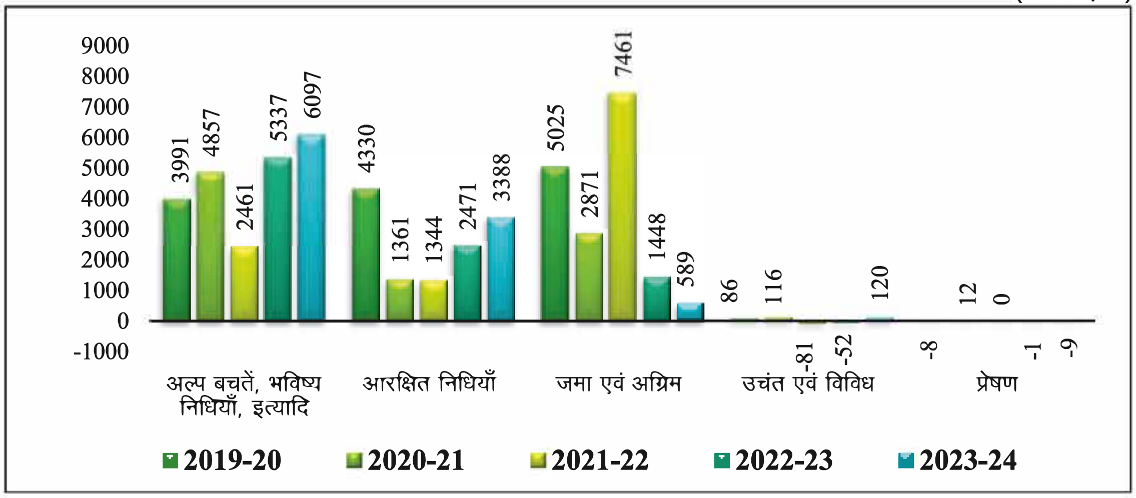

स्रोतः वित्त लेखे

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखा) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेंसियों से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं। आगे इन निधियों को दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि से संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करने के बाद राशि अन्तरित कर बनाई जाती है। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुर्नभरण किया जाता है।

31 मार्च 2024 को, ₹ 6,391.14 करोड़ की ब्याज वाली तीन निधियों सहित लोक लेखे में 24 आरक्षित निधियों में ₹ 18,446.21 करोड़ की राशि थी। आरक्षित निधियों में शेषों को नीचे **तालिका 2.31** में दिया गया है:

तालिका 2.31: आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2024 को शेष
अ	**ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ**	**6,391.14**
1.	राज्य आपदा मोचन निधि	3,493.98
2.	राज्य आपदा शमन निधि	1,533.12
3.	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि	1,364.04
ब	**बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ**	**12,055.07**
1.	गारंटी मोचन निधि	8,968.62
2.	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	1,475.05
3.	जल संरक्षण उपकर निधि	541.08
4.	समर्पित सड़क सुरक्षा निधि	400.73
5.	राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि	232.21
6.	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत कोष	135.87
7.	राज्य सड़क एवं सेतु निधि	7.92
8.	अन्य आरक्षित निधियाँ	293.59
	योग (अ+ब)	**18,446.21**

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य की आरक्षित निधियों में ₹ 10,609.48 करोड़ की राशि जमा की गई, जिसमें मुख्य रूप से राज्य सड़क और सेतु निधि (₹ 3,390 करोड़), राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 2,004.12 करोड़), गारंटी मोचन निधि (₹ 1,339.65 करोड़), पशुपालन उद्देश्यों के लिए विकास निधि (₹ 1,226.60 करोड़) और राज्य आपदा शमन निधि (₹ 716.13 करोड़) शामिल थी।

वित्त लेखा 2023-24 के अनुसार, तीन[9] बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ (₹ 3.27 करोड़) छः साल से अधिक समय से निष्क्रिय थी।

2.5.2.1 राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पन्द्रहवें वित्त आयोग ने आपदा मोचन के साथ-साथ आपदा शमन के लिए 1 अप्रैल 2020 से राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि नामक निधि के गठन की सिफारिश की। केंद्र और राज्य सरकार के लिए निधि में योगदान का अनुपात क्रमशः 75:25 है। आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार निधि के लिए नोडल विभाग है। पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित इस निधि की व्याप्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय (राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि) और राज्य (राज्य आपदा मोचन निधि) स्तरों पर पहले से मौजूद आपदा मोचन निधियों से परे है। राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि में दो घटक जैसे राज्य आपदा मोचन निधि तथा राज्य आपदा शमन निधि क्रमशः 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के अनुपात में आवंटन के साथ शामिल हैं।

राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के लिए केन्द्रीय अंश प्राप्त होने पर इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अंशदान लोक लेखे में हस्तान्तरित किया जाना है, अन्यथा, देरी की अवधि के लिए ब्याज (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर पर) निधि को हस्तान्तरित किया जाना है।

राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के निवेश पर अर्जित आय के साथ राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि की अभिवृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज-अर्जन वाली जमाओं में निवेश किया जाना है। राज्य सरकार को आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि को निवेश नहीं की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है।

आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचनाओं की जाँच से निम्न दृष्टिगत हुएः

(i) पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि को ₹ 1,742.40 करोड़ (केंद्रीय अंशः ₹ 1,307.20 करोड़ तथा राज्य का अंशः ₹ 435.20 करोड़) हस्तांतरित किये। यह पाया गया कि ₹ 1,307.20 करोड़ के केंद्रीय अंश में से, भारत

9. (i) परिवर्तित आवासीय भूमि के विकास के लिए विशेष शुल्कः ₹324.59 लाख, (ii) राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधिः ₹ 0.01 लाख, (iii) पूंजीगत लेखे से हस्तांतरण-केएफडब्लू जर्मनी से जल आपूर्ति योजना पीएमसी चुरू के लिए प्राप्त राशिः ₹ 2.22 लाख।

सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि की द्वितीय किस्त के लिए ₹ 653.60 करोड़ की स्वीकृति 11 जनवरी 2024 को जारी की थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने अंश (₹ 217.60 करोड़) के साथ 31 जनवरी 2024 को पांच दिनों की देरी के बाद हस्तान्तरित किया।

(ii) पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर, राज्य सरकार ने विशेष रूप से शमन के उद्देश्य से परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 03 मई 2021 को राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का गठन किया। राज्य सरकार को 2023-24 के दौरान एसडीएमएफ के लिए ₹ 482.40 करोड़ का केंद्रीय अंश प्राप्त हुआ और ₹ 632.60 करोड़ (केंद्रीय अंशः ₹ 474.60 करोड़[10] और राज्यांशः ₹ 158.00 करोड़) एसडीएमएफ को हस्तांतरित कर दिया गया। वर्ष 2023-24 के लिए 29.03.2024 को भारत सरकार से प्राप्त ₹ 163.40 करोड़ की दूसरी किस्त राज्यांश के साथ (₹ 54.40 करोड़) 09.04.2024 को राजस्थान सरकार द्वारा हस्तांतरित कर दी गई।

(iii) लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि राज्य सरकार ने 2023-24 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि तथा राज्य आपदा शमन निधि की अनिवेशित राशि पर क्रमशः ₹ 215.93 करोड़ तथा ₹ 83.53 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया ।

दिशा-निर्देशों के अनुसार अव्ययित राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि शेष को निर्धारित साधनों में निवेश करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान, बजट शीर्ष 'प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत' पर किये गये व्यय में से सरकार ने ₹ 1,692.06 करोड़ की राशि राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 9.60 करोड़ के प्रशासन व्यय को छोड़कर) से समायोजित की, जिसका विवरण **तालिका 2.32** में दिया गया है।

तालिका 2.32: राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	राशि
1.	**2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 01-सूखा**	102-पेयजल आपूर्ति	20.64
		104-चारे की आपूर्ति	2.04
		800-अन्य व्यय	91.57
		उप-योग	**114.25**
2.	**2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात इत्यादि**	101-आनुग्रहिक राहत	1.23
		106-ख़राब सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनरूद्धार	42.38
		107-सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत एवं पुनरुद्वार	0.05
		109-क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण	1.47
		111-शोकाकुल परिवारों को अनुग्रह भुगतान	1.60

10. इसमें वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त (प्रत्येक ₹155.60 करोड़) से सम्बंधित 31.03.2023 एवं 16.05.2023 को हस्तांतरित तथा राजस्थान सरकार द्वारा आगे क्रमशः 01.05.2023 एवं 01.06.2023 को जारी ₹ 311.20 करोड़ शामिल है।

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	राशि
		113-घर की मरम्मत/ पुनर्निर्माण के लिए सहायता	5.84
		114-कृषि आगतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता	1,535.81
		117-पशु धन क्रय हेतु किसानों को सहायता	1.02
		122-खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण संबंधी निर्माण-कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	0.70
		282-जन स्वास्थ्य	(-) 12.29
		उप-योग	**1,577.81**
		योग	**1,692.06**
3.	**2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 80-सामान्य**	800-अन्य व्यय (प्राशासनिक व्यय)	9.60
		उप-योग	**9.60**
		महा योग	**1,701.66**

स्रोतः वित्त लेखे

2.5.2.2 प्रत्याभूति मोचन निधि

राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी बॉन्डों एवं अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी प्रत्याभूति और लाभार्थियों द्वारा भुगतान में चूक से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 1999-2000 में 'प्रत्याभूति मोचन निधि (निधि)' संस्थापित की।

वित्त विभाग (मार्गोपाय), राजस्थान सरकार के आदेश (दिसम्बर 2007) के अनुसार, निधि में निवेशित निधियों पर अर्जित ब्याज सहित संचित निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार के 364 दिनों के कोषालय बिलों में निवेश किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक जो निधि का प्रबन्धन करता है, के दिशानिर्देशों के अनुसार निधि के कोष को बकाया प्रत्याभूतियों के पांच प्रतिशत के वांछित स्तर तक धीरे-धीरे बढ़ाना था। प्रत्याभूति मोचन निधि के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 8,968.62 करोड़ का शेष था जो कि बकाया प्रत्याभूतियों (₹ 1,10,918.47 करोड़) का 8.09 प्रतिशत था।

1 अप्रैल 2023 को निधि में ₹ 7,628.97 करोड़ का प्रारम्भिक शेष था। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 906.03 करोड़[11] की राशि निधि में अंतरित की गई थी तथा इस अवधि में कोई गारंटी बाधित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के दौरान निधि से किए गए निवेश पर ब्याज के रूप में सरकार को ₹ 433.62 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2024 को, निधि में अंतिम शेष ₹ 8,968.62 करोड़ था, जिसमें से ₹ 8,368.12 करोड़ 364 दिनों के कोषालय बिलो में निवेश किये गये थे तथा शेष राशि ₹ 600.50 करोड़ अनिवेशित थी।

11. ₹ 943.08 करोड़ के प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क के समक्ष शीर्ष "0075-108" के अन्तर्गत ₹ 943.08 करोड़ प्राप्त हुए।

2.5.2.3 उपकर/अधिभार का संग्रहण

सरकार द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपकर लगाया जाता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राप्त राशि विशिष्ट उद्देश्य पर व्यय हो, को विशेष लेखांकन के साथ एक पृथक निधि में रखा जाना आवश्यक है। विभिन्न उपकर/अधिभार के संग्रहण तथा संबंधित निधियों में हस्तांतरण का विवरण नीचे **तालिका 2.33** में दिया गया है:

तालिका 2.33: अधिभार का संग्रहण तथा निधियों में हस्तांतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अधिभार का नाम	अहस्तांतरित राशि का प्रारंभिक शेष	वर्ष 2023-24 के दौरान संग्रहित उपकर/अधिभार	योग (3+4)	वर्ष 2023-24 के दौरान निधि में हस्तांतरित राशि	अहस्तांतरित राशि का अंतिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	पेट्रोल एवं डीजल पर उपकर (राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004)	1,970.01	1534.35	3,504.36	3,390.12	114.24
2.	गाय एवं उसकी संतति के संरक्षण तथा प्रसार हेतु अधिभार (नियम, 2016)	1,611.17	1,227.47	2,838.64	1,226.60	1,612.04
3.	जल संरक्षण उपकर (राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962)	1,047.42	319.98	1,367.40	309.62	1,057.78
4.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (नियम 2009)	624.07	760.04	1,384.11	624.32	759.79
5.	बुनियादी ढांचा विकास उपकर*	1,459.94	1,286.28	2,746.22	1,111.48	1,634.74
6.	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार	393.27	596.42	989.69	0	989.69
7.	नगरीय उपकर	1,115.22	209.68	1,324.90	100	1,224.90
	योग	**8,221.10**	**5,934.22**	**14,155.32**	**6,762.14**	**7,393.18**

स्रोतः वित्त लेखे

* इस वर्ष इसमें शीर्ष 0030-02-800 की प्राप्ति के साथ शीर्ष 0041-102-08 के अंतर्गत वाहनों पर ग्रीन टैक्स एवं अधिभार से प्राप्तियाँ सम्मिलित है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक सात आरक्षित निधियों/जमा निधियों में ₹ 7,393.18 करोड़ का कम हस्तांतरण किया जो कि राज्य सरकार की स्थगित देनदारी है। वर्ष 2023-24 के दौरान सात उपकरों के ₹ 5,934.22 करोड़ के संग्रहण के समक्ष, राज्य सरकार ने ₹ 6,762.14 करोड़ की राशि हस्तांतरित की, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा ₹ 827.92 करोड़ अधिक बताया गया।

इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने सात में से छः उपकरों यथा (i) गाय एवं उसकी संतति के संरक्षण तथा प्रसार हेतु अधिभार, (ii) जल संरक्षण उपकर (iii) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (iv) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार (v) नगरीय उपकर एवं (vi) बुनियादी

ढांचा विकास उपकर में ₹4,399.87 करोड़ संग्रहित किये एवं केवल ₹ 3,372.02 करोड़ हस्तांतरित किए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1,027.85 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ जिसके कारण देनदारी को भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित किया गया।

2.6 लोक देयता का प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, सरकार की देयताओं के प्रबन्धन जिससे आवश्यक निधियाँ जुटाने, अपने जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों जो सरकार ने अधिनियम या अन्य किसी वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किये है, के क्रम में रणनीति तैयार करने और क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया है । वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के साथ राज्य की बकाया देयताओं को **चार्ट 2.17** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.17: वर्ष 2019-24 के दौरान बकाया देयता की स्थिति

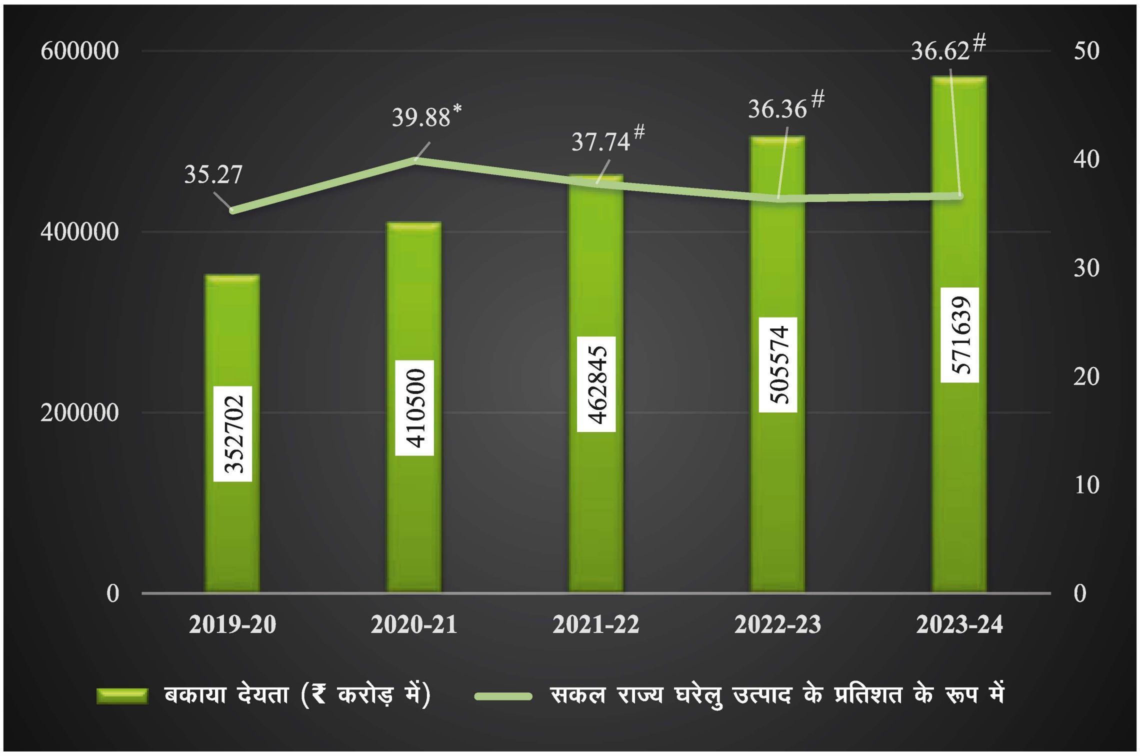

* *कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹ 4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई।*

\# *कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹ 11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई।*

राज्य सरकार की कुल देयता 2019-20 में ₹ 3,52,702 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 5,71,639 करोड़[12] हो गई। वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 13.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान ये देयतायें राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,03,276 करोड़) से दोगुनी से अधिक तथा राज्य के स्व-संसाधनों (₹ 1,12,766 करोड़) से पांच गुना से अधिक थी।

12. प्रभावी बकाया देयतायें ₹ 5,59,767 करोड़ होगी जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 11,872 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जावेगा।

2.6.1 देयता रुपरेखा: घटक

राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल देयताओं से अभिप्राय राज्य की समेकित निधि तथा सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत स्पष्ट देयताओं से है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शर्तों की व्याख्या ***परिशिष्ट 2.3*** में की गई है। **तालिका 2.34** वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए घटक-वार कुल देयताओं की प्रवृतियों को दर्शाती है।

तालिका 2.34: घटक-वार देयताओं की प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

क्र.स.		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	**समग्र बकाया देयता* (2+3)**	**3,52,702**	**4,10,500**	**4,62,845**	**5,05,574**	5,71,639
2.	**लोक ऋण**	2,59,380	3,08,321	3,53,556	3,88,384	4,46,652
(i)	***आतंरिक ऋण***	*2,42,077*	*2,84,789*	*3,21,807*	*3,50,962*	3,99,858
(ii)	***भारत सरकार से ऋण***	*17,303*	*23,532*	*31,749*	*37,422*	46,794
3.	**लोक लेखा दायित्व**	93,322	1,02,179	1,09,289	1,17,190	1,24,987
(i)	*अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि*	*51,468*	*56,326*	*58,786*	*64,123*	70,220
(ii)	*ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ*	*3,832*	*4,529*	*3,345*	*4,668*	5,039
(iii)	*बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ*	*4,179*	*4,610*	*2,984*	*2,776*	3,516
(iv)	*ब्याज वाली जमाएँ*	*7,667*	*11,270*	*13,451*	*18,304*	19,770
(v)	*बिना ब्याज वाली जमाएँ*	*26,176*	*25,444*	*30,723*	*27,319*	26,442
4.	**बकाया समग्र देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशतता)**	13.27	16.39	12.75	9.23	13.07
5.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	10,00,032	10,17,917	11,94,961	13,57,851	15,28,385
6.	**समग्र देयताओं/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)**	35.27	39.88[13]	37.74[14]	36.36[14]	36.62[14]
7.	**लोक लेखा प्राप्तियों सहित वर्ष के दौरान कुल देयता प्राप्तियाँ#**	2,37,596	2,68,770	3,02,174	2,90,718	3,64,764
8.	**लोक लेखा संवितरणों सहित वर्ष के दौरान कुल ऋण पुनर्भुगतान#**	1,96,268	2,10,972	2,49,829	2,47,990	2,98,699
9.	**उपलब्ध निवल निधियाँ**	41,328	57,798	52,345	42,728	66,065
10.	**उपलब्ध निधियाँ/कुल देयता प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)**	17.39	21.50	17.32	14.70	18.11

स्रोतः वित्त लेखे

* *बकाया उदय ऋण: 2019-20: ₹ 44,730 करोड़, 2020-21: ₹37,825 करोड़, 2021-22: ₹30,919 करोड़, 2022-23: ₹ 24,013 करोड़ तथा 2023-24: ₹ 17,107 करोड़ सहित।*

\# *मार्गोपाय अग्रिमों के अतिरिक्त।*

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रभावी बकाया कुल ऋण ₹ 5,59,767 करोड़ होगा जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी

13. सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के लिए प्रभावी देयता बकाया कुल देयता से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर निकाली गई है।
14. सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के लिए प्रभावी देयता बकाया कुल देयता से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर निकाली गई है।

जीएसटी क्षतिपूर्ति (₹ 11,872 करोड़) को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जावेगा।

वर्ष 2023-24 के दौरान, गत वर्ष से समग्र देयता में ₹ 66,065 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः लोक ऋण में 15 प्रतिशत (₹ 58,268 करोड़) वृद्धि के कारण हुई।

सकल देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2022-23 में 36.36 प्रतिशत से मामूली बढ़कर वर्ष 2023-24 में 36.62 प्रतिशत हो गया यद्यपि राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य (38.20 प्रतिशत से कम) के अंतर्गत रहा।

चार्ट 2.18: वित्तीय वर्ष के अंत में समग्र बकाया दायित्वों का विभाजन

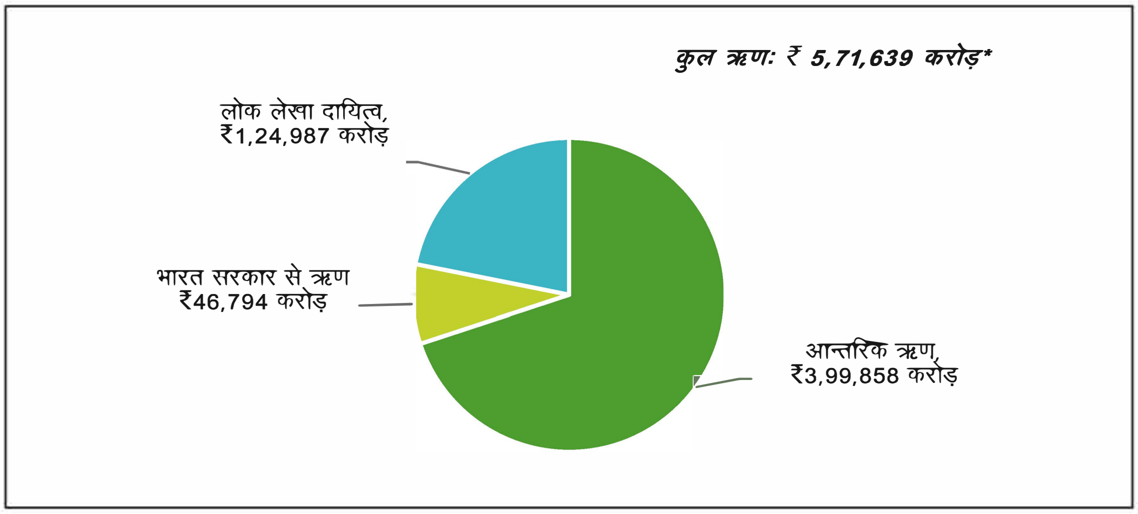

* *प्रभावी कुल देयता ₹ 5,59,767 करोड़ होगी जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 11,872 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जावेगा।*

चार्ट 2.19: पुनर्भुगतान के साथ-साथ लिया गया आन्तरिक ऋण

(₹ करोड़ में)

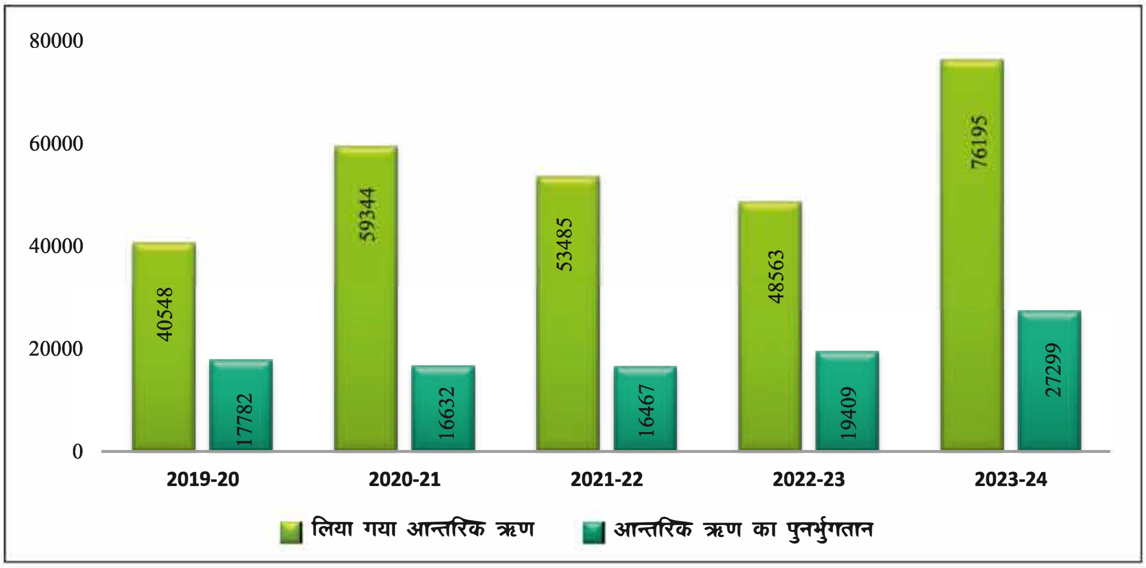

लिया गया आंतरिक ऋण वर्ष 2019-20 में ₹ 40,548 करोड़ से 17.08 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 2023-24 में ₹ 76,195 करोड़ हो गया, तथापि, आंतरिक ऋण का पुनर्भुगतान 2019-20 के ₹ 17,782 करोड़ से 11.31 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 2023-24 में ₹ 27,299 करोड़ हो गया।

राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनका वित्तपोषण स्वरूप

तालिका 2.35 वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का मद-वार निवल संवितरण/बहि:प्रवाह स्वरुप प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.35: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्त पोषण का मद-वार स्वरूप

(₹ करोड़ में)

		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	(अ) राजकोषीय घाटे के घटक					
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	36,371	44,001	25,870	31,491	38,955
2	निवल पूंजीगत व्यय	14,698	15,257	24,121	19,782	26,632
3	निवल ऋण एवं अग्रिम*	(-)13,415	118	(-) 1,753	(-) 245	(-) 7
	योग (अ)	**37,654**	**59,376**	**48,238**	**51,028**	**65,580**
	(ब) राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप					
1	बाजार से उधार	31,592	51,179	45,149	37,016	56,624
2	भारत सरकार से ऋण	3,375	6,229	8,217	5,673	9,372
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधियों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 1,585	(-) 1,584	(-) 1,585	(-) 1,585	(-) 1,585
4	मार्गोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-) 7,241	(-) 6,882	(-) 6,546	(-) 6,277	(-) 6,143
6	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	3,991	4,857	2,461	5,337	6,097
7	जमा तथा अग्रिम	5,025	2,871	7,461	1,448	589
8	उचंत तथा विविध	86	116	(-) 81	(-) 52	120
9	प्रेषण	(-) 8	12	0	(-) 1	(-) 9
10	आरक्षित निधियाँ	4,330	1,361	1,344	2,471	3,388
	योग (ब)	**39,565**	**58,159**	**56,420**	**44030**	**68,453**
11	नकद शेष में वृद्धि (-)/कमी (अ-ब)	(-) 1,911	1,217	(-) 8,182	6,998	(-) 2,873
12	कुल राजकोषीय घाटा (ब+11)	37,654	59,376	48,238	51,028	65,580

स्रोतः वित्त लेखे

* *निवल ऋण एवं अग्रिम का अर्थ है वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिम का संवितरण - ऋण एवं अग्रिम की वसूली*

राजकोषीय घाटा राज्य की कुल उधार की आवश्यकता है तथा राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण एवं अग्रिम सहित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप से राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्कता को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा लिए गये विभिन्न उधारों की सीमा का पता चलता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान बाजार उधार की राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में 72.54 प्रतिशत से 93.60 प्रतिशत तक प्रमुख हिस्सेदारी रही है। वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 65,580 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार उधार, लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि एवं भारत सरकार से ऋण से पूरा किया गया था।

2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

31 मार्च 2024 को राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (विभिन्न वर्षों में आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण के संबंध में देय राशि) को **तालिका 2.36** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.36: राज्य के लोक ऋण के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा

क्र.सं .	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षों में)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत (लोक ऋण के सम्बन्ध में)
1.	0 – 1	28,703.02	6.43
2.	1 – 3	69,989.04	15.67
3.	3 – 5	68,826.84	15.41
4.	5 – 7	61,508.78	13.77
5.	7 एवं अधिक	1,70,395.18	38.15
6.	अन्य[15]	47,228.78	10.57
	योग	**4,46,651.64**	**100.00**

स्रोत: वित्त लेखे ।

चार्ट 2.20: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

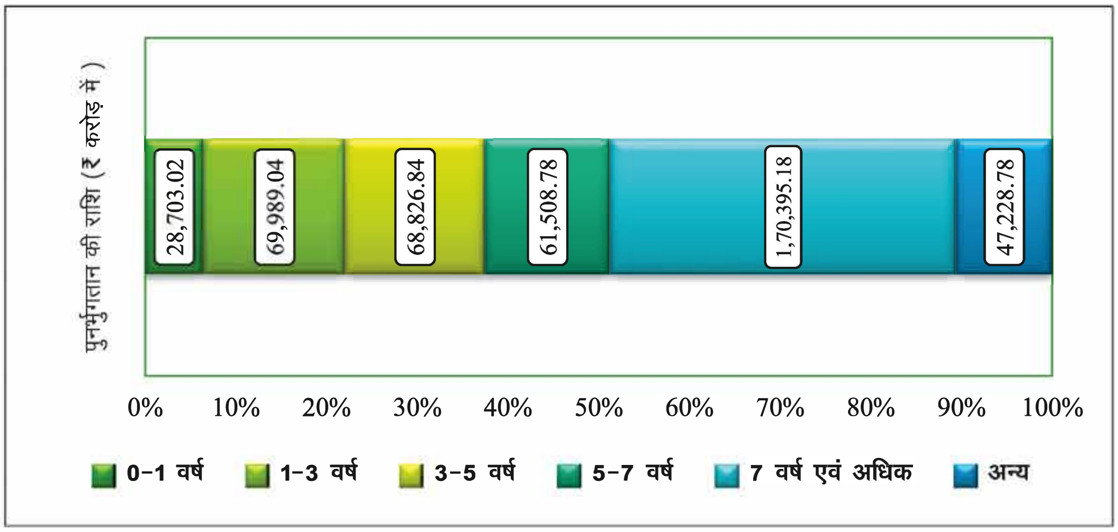

15. राज्य सरकार से सूचना अपेक्षित रही

31 मार्च 2024 को लोक ऋण के बकाया शेष की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि बकाया लोक ऋण ₹4,46,651.64 करोड़ में से 51.28 प्रतिशत (₹ 2,29,027.68 करोड़) आगामी सात वर्षों में भुगतान योग्य है, 38.15 प्रतिशत (₹ 1,70,395.18 करोड़) सात वर्ष से अधिक की परिपक्वता सीमा में है जबकि शेष राशि (₹ 47,228.78 करोड़) की पुनर्भुगतान अनुसूची उपलब्ध नहीं है।

बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची

राज्य सरकार का उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा शासित होता है। राज्य सरकार विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा राजकोषीय देयताओं की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण/उधार लेती है।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी (सितम्बर 2024) सूचना के अनुसार वर्ष 2024-25 से 2055-56 के लिए बकाया बाजार ऋणों एवं इन ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची **तालिका 2.37** में नीचे दर्शायी गई है:

तालिका 2.37: बाजार ऋणों एवं बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

क्र.सं.	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षों में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (₹ करोड़ में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (ब्याज) (₹ करोड़ में)
1.	0 – 1	18,800.00	26,452.64
2.	1 – 3	53,452.78	48,013.43
3.	3 – 5	58,142.04	39,905.79
4.	5 – 7	58,651.00	30,620.42
5.	7 -10	83,975.00	30,438.59
6.	10 से अधिक	85,806.00	55,301.19
	योग	**3,58,826.82**	**2,30,732.06**

स्रोतः वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

चार्ट 2.21: बाजार ऋणों एवं बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

(₹ करोड़ में)

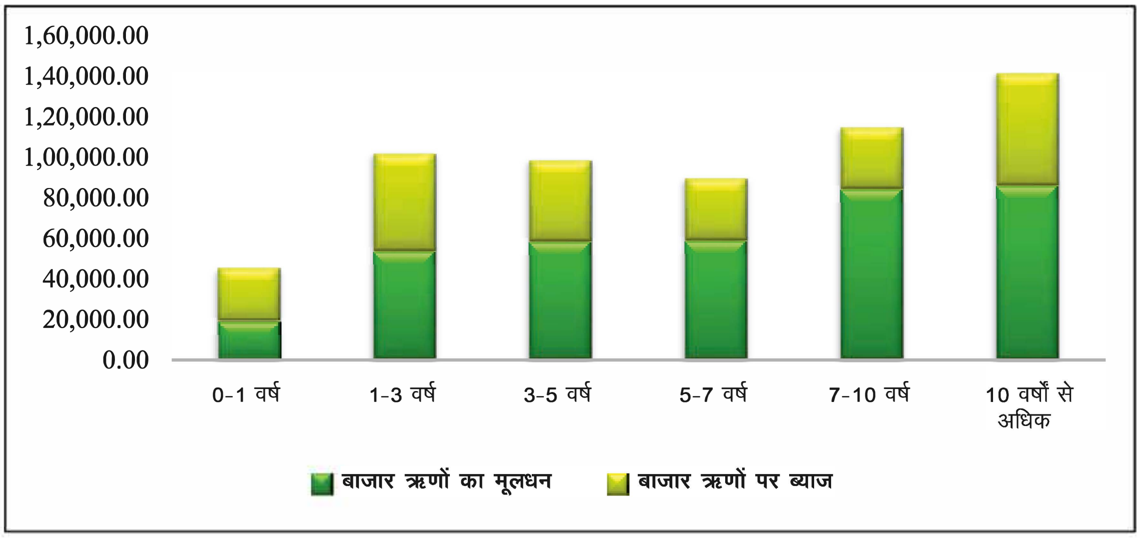

जैसा कि उपर दर्शाया गया है, राज्य को आगामी तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात 2026-27 तक ₹ 72,252.78 करोड़ के बाजार ऋण का पुनर्भुगतान तथा ₹ 74,466.07 करोड़ ब्याज का भुगतान करना होगा। आगामी दो वर्षों 2028-29 तक मूलधन ₹ 58,142.04 करोड़ तथा ब्याज ₹ 39,905.79 करोड़ देय होगा। वर्ष 2028-29 तक अगले पांच वर्षों के दौरान मूलधन पुनर्भुगतान तथा ब्याज का औसत वार्षिक व्यय लगभग ₹ 48,953.34 करोड़ होगा।

वर्ष 2029-30 से 2033-34 की अवधि में ₹ 1,42,626.00 करोड़ का ऋण तथा ₹ 61,059.01 करोड़ का ब्याज देय होगा। इस प्रकार, राज्य को वर्ष 2029-30 से 2033-34 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 40,737.00 करोड़ का औसत वार्षिक भुगतान करना होगा।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)

ऋण धारणीयता का विश्लेषण, राजकोषीय एवं ऋण मापदंडों तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों के वृहद-राजकोषीय मापदंडों के संबंध में किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं:

(अ) ऋण धारणीयता का तात्पर्य राज्य की वर्तमान तथा भविष्य में अपने ऋण दायित्व को चुकाने की क्षमता से है। वर्ष 2019-20 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्षों की अवधि के लिए ऋण धारणीयता संकेतकों का विश्लेषण **तालिका 2.38** में दिया गया है:

तालिका 2.38: ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋण धारणीयता संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	समग्र देयताएं या समग्र ऋण##	3,52,702	4,10,500	4,62,845	5,05,574	5,71,639
1(अ)	प्रभावी सकल देयता या बेक-टू-बेक ऋण को छोड़ते हुये प्रभावी सकल ऋण##	3,52,702	4,05,896	4,50,973	4,93,702	5,59,767
1(ब)	निवल सकल देयता या निवल सकल ऋण (बिना ब्याज के ऋण, आरक्षित निधियाँ एवं जमायें, बेक-टू-बेक ऋण, 50 वर्षों हेतु ब्याज रहित ऋण)	3,22,347	3,74,841	4,15,572	4,56,317	5,14,006
2	प्रभावी सकल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.27	15.08	11.11	9.47	13.38
3	जीएसडीपी (नोमिनल रूप में)	10,00,032	10,17,917	11,94,961	13,57,851	15,28,385
4	नोमिनल जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.71	1.79	17.39	13.63	12.56
5	सकल ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत) ##	35.27	40.33	38.73	37.23	37.40
6	राज्य विकासात्मक ऋण की परिपक्वता रुपरेखा अर्थात बाज़ार ऋण मूलधन राशि (प्रतिशत)*					
6 (अ)	0-2 वर्ष	12,180	15,041	26,041	35,800	44,600
6 (ब)	2-5 वर्ष	37,091	59,850	71,753	80,537	85,795
6 (स)	5-10 वर्ष	1,13,088	1,29,647	1,47,893	1,39,060	1,42,626
6 (द)	10 वर्ष से अधिक	6,500	15,500	19,500	46,806	85,806
7	सकल उधार से उधार का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	92.56	87.87	91.98	95.83	91.24
8	उपलब्ध निवल उधार सकल उधारो के प्रतिशत के रूप में	7.44	12.13	8.02	4.17	8.76

क्र.सं.	ऋण धारणीयता संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
9	सकल ऋण पर ब्याज अदायगी	23,643	25,202	28,100	30,602	34,128
10	सकल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)	7.76	7.23	7.11	7.02	7.03
11	राजस्व प्राप्तियो से ब्याज अदायगी (प्रतिशत)	16.87	18.76	15.28	15.69	16.79
12	राजस्व घाटा/अधिशेष	(-)36,371	(-)44,001	(-)25,870	(-)31,491	(-)38,955
13	प्राथमिक घाटा शेष (12+9)	(-)12,728	(-)18,799	2,230	(-)889	(-)4,827
14	प्राथमिक शेष	(-)14,011	(-)34,174	(-)20,138	(-)20,426	(-)31,452
15	प्राथमिक शेष/जीएसडीपी (प्रतिशत)	(-)1.40	(-)3.36	(-)1,69	(-)1.50	(-)2.06
16	निवेश पर प्रतिलाभ (ऋण एवं अग्रिम के प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों के औसत से ब्याज प्राप्तियों की दर) एवं सकल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर में अंतर	7.75	5.42	(-)6.51	(-)4.08	(-)6.29
17	तरलता प्रबंधन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय सुविधा साधन) (अवसरों की संख्या)	3	50	71	133	170
18	ऋण स्थिरता (मात्रा प्रसार + प्राथमिक शेष)	(-)7,725	(-)54,570	22,593	9,744	(-) 3,054
19	**डोमार मानदंड**					
अ	जीएसडीपी (स्थिर मूल्य पर)	6,78,316	6,65,963	7,25,586	7,82,287	8,45,115
ब	जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि (स्थिर मूल्य पर)	5.45	(-)1.82	8.95	7.81	8.03
स	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	5.32	3.69	4.86	6.91	6.39
द	सकल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (क्र. सं. 10 के समान)	7.76	7.23	7.11	7.02	7.03
य	सकल ऋण पर वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति) (19द – 19स)	2.44	3.54	2.25	0.11	0.64
र	ब्याज वृद्धि अवकलन (जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि - सकल ऋण पर वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) (19ब – 19य)	3.01	(-)5.36	6.70	7.70	7.39

स्रोतः वित्त लेखे एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

* *अन्य ऋणों का आयु-वार विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण केवल बाजार ऋणों की परिपक्वता रुपरेखा दी गई है।*

वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 के लिए प्रभावी सकल देयता/जीएसडीपी अनुपात क्रमशः 39.88 प्रतिशत, 37.74 प्रतिशत, 36.36 प्रतिशत एवं 36.62 प्रतिशत होगा जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गई जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि (2020-21 के लिए ₹4,604 करोड़ एवं 2021-22 से 2023-24 के लिए ₹11,872 करोड़) को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नही माना जावेगा।

चार्ट 2.22: ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृत्तियाँ

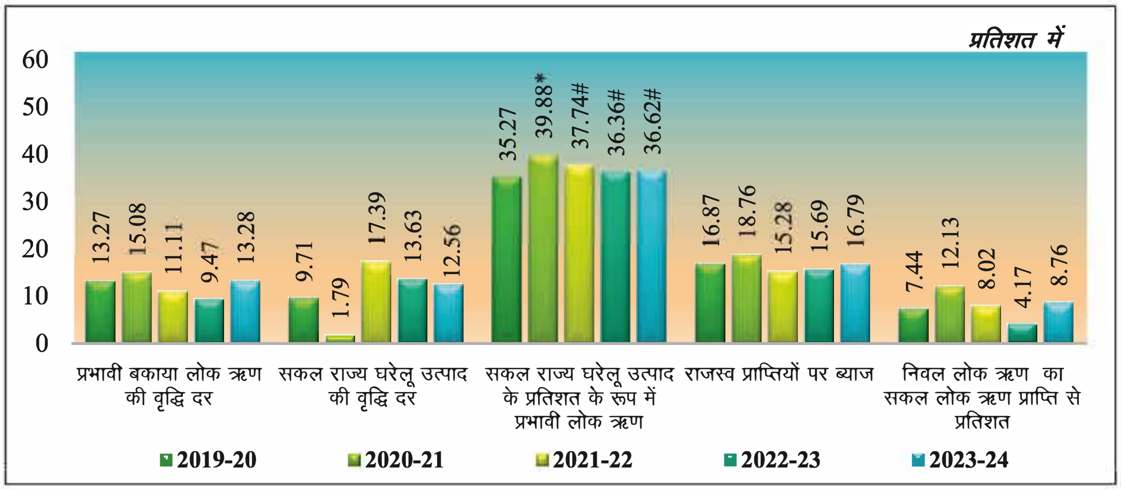

* *कुल बकाया ऋणों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त की गयी है।*

\# *कुल बकाया ऋणों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त की गयी है।*

तालिका 2.38 एवं चार्ट 2.22 में दर्शाये अनुसार विभिन्न ऋण धारणीयता संकेतकों के विश्लेषण से निम्न दृष्टिगत हुयेः

- **ऋण जीएसडीपी के प्रतिशत में:** गत पांच वर्षों के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक रहा। राज्य का राजकोषीय घाटा भी गत पांच वर्षों के दौरान जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक रहा, जैसा कि राज्य एफआरबीएम अधिनियम में लक्षित है और पिछले पांच वर्षों के दौरान 87 प्रतिशत से अधिक उधार का उपयोग बकाया ऋण (ब्याज सहित) के पुनर्भुगतान में किया गया है। *यह इंगित करता है कि जीएसडीपी अनुपात के मुकाबले उच्च ऋण यह दर्शाता है कि राज्य का बोझ उसके आर्थिक उत्पादन की तुलना में अधिक है और यह वित्तीय भेद्यता और कम राजकोषीय लचीलेपन को इंगित करता है।*

- **जीएसडीपी की नोमिनल वृद्धि दर और ऋण की वृद्धि दर:** सिवाय 2021-22 एवं 2022-23 के नोमिनल जीएसडीपी की दर समग्र ऋण की वृद्धि दर से कम थी। इससे स्पष्ठ है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2023-24 में ऋण वृद्धि नोमिनल वृद्धि से अधिक थी जिससे इन वर्षों के दौरान राज्य का ऋण भार खराब रहा।

- **डोमार मॉडल–जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर) एवं समग्र ऋण पर वास्तविक ब्याज दर:** वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, वास्तविक वृद्धि की दर वास्तविक प्रभावी ब्याज दर से अधिक थी। अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के सन्दर्भ में, कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर वर्ष 2020-21 की (-)1.82 प्रतिशत से 8.95 प्रतिशत रही तथा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में इन वर्षों में उधार को पाटने के कारण 8 प्रतिशत पर स्थिर रही।

- **प्राथमिक शेष एवं प्राथमिक राजस्व शेषः** सभी पाँच वर्षो में (केवल 2021-22 में सकारात्मक प्राथमिक राजस्व शेष) प्राथमिक शेष एवं प्राथमिक राजस्व शेष नकारात्मक रहा। *प्राथमिक शेष 2019-20 में ₹ 14,011 करोड़ से बढकर 2023-24 में ₹ 31,452 करोड़ हो गया जो दर्शाता है कि ऋण अस्थिरता के पथ पर है।*

- **राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगी:** गत पाँच वर्षों के दौरान सकल ऋण पर ब्याज भुगतान का भार राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में 15 प्रतिशत से अधिक रहा। यह 2021-22 में 15.28 प्रतिशत से बढकर 2023-24 में 16.79 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में यह गत पांच वर्षो के दौरान 13 प्रतिशत से अधिक रहा (**तालिका 2.20**) और गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है। यह एक अस्थिर ऋण प्रक्षेपक वक्र को इंगित करता है।

- **परिपक्वता रुपरेखा और उधारों की लागत :** राज्य के बाजार ऋण की परिपक्वता रुपरेखा दर्शाती है कि 31 मार्च 2024 को कुल बाजार ऋण का 63.66 प्रतिशत (₹ 2,28,432 करोड़) पांच वर्षो बाद पुनर्भुगतान योग्य हैं, जो ऋण की लम्बी अवधि को दर्शाता है।

- **तरलता:** वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 1,23,207.02 करोड़ के विशेष मार्गोपाय अग्रिम एवं ₹ 11,905.18 करोड़ के सामान्य मार्गोपाय अग्रिम का उपयोग किया। आरबीआई से लिये गये मार्गोपाय अग्रिमों के अवसरों की संख्या 2019-20 में तीन से बढकर 2023-24 में 170 हो गई एवं गत पांच वर्षों में मार्गोपाय अग्रिम की राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार के द्वारा मार्गोपाय अग्रिम पर ₹ 339.93 करोड़ का ब्याज के रूप में भुगतान किया। *मार्गोपाय अग्रिम का बड़ी मात्रा में निरन्तर उपयोग लचर तरलता प्रबंधन को इंगित करता है एवं कमजोर राजकोषीय प्रबंधन को इंगित करता है जो अल्प कालिक स्थिरता में बाधक है।*

- **राजकोषीय असंतुलन:** वर्ष 2023-24 के दौरान गत वर्ष की तुलना में समग्र ऋण का जीएसडीपी से अनुपात बढ़ गया। यह दर्शाता है कि राज्य के पास उधार के माध्यम से राजकोषीय विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के प्राथमिक शेषों का निरन्तर विस्तार हुआ है, यह दर्शाता है कि ऋण स्थिर नहीं है।

- **डोमार मॉडल एवं प्राथमिक शेष:** कोविड-19 महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी के कारण वर्ष 2020-21 को छोड़कर गत पांच वर्षों के दौरान डोमार गैप (ब्याज वृद्धि का अंतर अर्थात् वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) सकारात्मक रही जबकि राज्य का प्राथमिक शेष गत पांच वर्षों के दौरान नकारात्मक रहा। यद्यपि प्राथमिक घाटा अस्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है। उधारों पर राज्य की बढती ब्याज देयता के साथ यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि राज्य के लिए ऋण स्थिर है।

(ब) एमटीएफपी में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का विवरण **तालिका 2.39** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.39: एमटीएफपी में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

राजकोषीय मापदंड		एमटीएफपी अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियाँ				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+) (प्रतिशत में)	लक्ष्य	(-) 16.47	(-) 7.12	(-) 12.88	(-) 10.93	(-) 10.64
	उपलब्धि	(-) 25.96	(-) 32.76	(-) 14.07	(-) 16.15	(-) 19.16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटा(-)/अधिशेष(+) (प्रतिशत में)	लक्ष्य	(-) 3.19	(-) 2.99	(-) 3.98	(-) 4.36	(-) 3.98
	उपलब्धि	(-) 3.77	(-) 5.83	(-) 4.04	(-) 3.76	(-) 4.29
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देयताओं का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	33.13	33.12	38.15	39.80	36.78
	उपलब्धि	35.32	39.88[16]	37.74[17]	36.36[17]	36.62[17]

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार पिछले पांच वर्षों से लगातार राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही है। राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा 2019-20 में 25.96 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 19.16 प्रतिशत रह गया, तथापि, यह पिछले वर्ष (16.15 प्रतिशत) की तुलना में बढ़ा है। वर्ष 2019-20 से 2020-21 तथा 2023-24 के दौरान

16. कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के तहत 2020-21 में बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त की गयी है।
17. कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के तहत 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त की गयी है।

राज्य सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे के मध्यकालिक राजकोषीय नीति के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसडीपी से बकाया देनदारी का एमटीएफपी लक्ष्य हासिल किया गया था।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग और अन्य देयताओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियाँ

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी निर्माण तथा विकासात्मक गतिविधियों हेतु किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग को पूरा करने के लिए तथा बकाया ऋणों पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना धारणीय नहीं है।

उधार ली गई निधियों के उपयोग एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत उपयोग के लिए उपलब्ध निधियों की प्रवृत्ति एवं विवरण **तालिका 2.40** में दिया गया है:

तालिका 2.40: उधार ली गई निधियों का उपयोग एवं अन्य देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल उधार (लोक ऋण एवं अन्य दायित्व)#	1	2,37,596	2,68,770	3,02,174	2,90,718	3,64,764
2.	पुनर्भुगतान (पूर्व के उधार (मूलधन) और अन्य दायित्व) (प्रतिशतता)	2	1,96,268 (82.61)	2,10,972 (78.50)	2,49,829 (82.68)	2,47,990 (85.30)	2,98,699 (81.89)
3.	निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)	3	14,698 (6.19)	15,257 (5.68)	24,121 (7.98)	19,782 (6.80)	26,632 (7.30)
4.	निवल ऋण एवं अग्रिम	4	(-) 13,415 (-5.65)	118 (0.04)	(-) 1,753 (-0.58)	(-) 245 (-0.08)	(-) 7 -
5.	निवल उपलब्ध उधारों एवं अन्य देयताओं से पूरा किया गया राजस्व व्यय का हिस्सा (प्रतिशतता)	5=1-2-3-4	40,045 (16.85)	42,423 (15.78)	29,978 (9.92)	23,191 (7.98)	39440 (11.00)

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष के दौरान मार्गोपाय अग्रिम के अलावा

चार्ट 2.23: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)

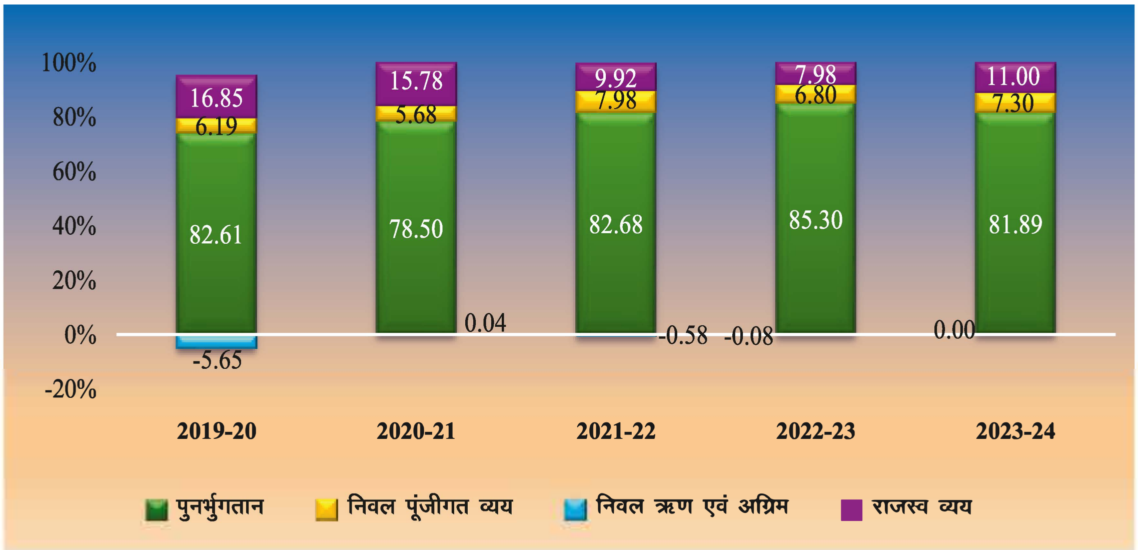

वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 39,440 करोड़ की उधारी का उपयोग किया गया परिणामस्वरूप पूंजीगत प्राप्तियों को राज्य सरकार के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए नियोजित किया गया। कुल उधारी में उधार के पुनर्भुगतान का प्रतिशत 2019-20 में 82.61 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2023-24 में 81.89 प्रतिशत रह गया।

2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें

प्रत्याभूतियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं हैं जो उधार लेने वाले जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी द्वारा चूक के मामले में लागू किया जा सकता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अप्रैल 2016 में संशोधित) के अनुसार, 31 मार्च 2017 को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियां वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा उसके पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियां उस वित्तीय वर्ष में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

गत पाँच वर्षों के लिए राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियां **तालिका 2.41** में दी गई है:

तालिका 2.41: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रत्याभूतियाँ	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	ब्याज सहित अधिकतम प्रत्याभूति की राशि	1,44,676	1,56,822	1,72,684	2,01,008	2,21,973
2.	ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	80,631	82,612	95,868	1,04,832	1,10,918
3.	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अधिकतम प्रत्याभूति राशि	103.26	116.76	93.89	103.08	109.20
4.	समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियाँ	2,24,905	2,19,467	2,46,909	3,38,075	3,82,674
5.	अनुमानित प्राप्तियों के सन्दर्भ में बकाया प्रत्याभूतियाँ (प्रतिशत में)	35.85	37.64	38.83	31.01	28.98

स्रोत : वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

बकाया प्रत्याभूतियां, वर्ष 2022-23 में ₹ 1,04,832 करोड़ से 5.81 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 1,10,918 करोड़ हो गयी तथा यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,03,276 करोड़) का 54.57 प्रतिशत थी। बकाया प्रत्याभूतियां मुख्यतः पाँच विद्युत कम्पनियों (₹ 85,409 करोड़), शहरी विकास एवं आवास क्षेत्र (₹ 6,810 करोड़), एक सड़क परिवहन निगम (₹ 4,539 करोड़) और छः सहकारी संस्थाओं (₹ 3,062 करोड़) से सम्बंधित थी। विद्युत कम्पनियों को प्रत्याभूतियां, ऋण/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉन्ड/ऋण पत्रों को जारी कर राशि प्राप्त करने तथा निर्दिष्ट दरों पर ब्याज भुगतान के लिए दी गई थी।

वर्ष 2023-24 के दौरान बकाया प्रत्याभूतियों का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (28.98 प्रतिशत) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (60 प्रतिशत) के भीतर था।

2.7.3 रोकड़ शेषों का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अनुसार, 01-03-1999 से राज्य सरकार को समस्त दिवसों में न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 2.34 करोड़ बनाये रखना है। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर साधारण और विशेष मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर कमी को पूरा किया जाता है।

मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट स्वीकृत करने के प्रयोजन से दैनिक रोकड़ शेष बनाये रखने हेतु आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों के साथ-साथ दिन के लिए सूचित किए गए लेनदेनों (आरबीआई काउंटर, अंतर-सरकारी लेनदेन और एजेंसी बैंक द्वारा सूचित किये गए कोषालय लेन-देनों) का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार प्राप्त रोकड़ शेष में, 14 दिनों की परिपक्वता के कोषालय बिलों, यदि कोई है, को जोड़ा जाता है तथा न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने के बाद अतिरिक्त शेष, यदि कोई है, को कोषालय बिलों में पुनः निवेशित किया जाता है। यदि निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम रोकड़ शेष से कम प्राप्त होता है और यदि उस दिन कोई 14 दिनों के कोषालय बिलों की परिपक्वता नहीं है, तो आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों की धारिता की कटौती करता है और कमी को पूरा करता है। यदि उस दिन 14 दिनों के कोषालय बिल नहीं है, तो राज्य सरकार मार्गोपाय अग्रिम/विशेष मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

राज्य सरकार के लिए साधारण मार्गोपाय अग्रिम की सीमा 17 अप्रैल 2020 से ₹ 2,608 करोड़ थी और यह 31 मार्च 2024 तक बनी रही। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की गिरवी के बदले विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी देता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा को समय-समय पर आरबीआई द्वारा संशोधित किया जाता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2023 को ₹ 7,197.37 करोड़ तथा 31 मार्च 2024 को ₹ 9,357.51करोड़ थी।

सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान आरबीआई के साथ न्यूनतम नकद शेष को जिस सीमा तक बनाए रखा वह नीचे बताया गया है:

(i) ***विशेष मार्गोपाय अग्रिमः*** 1 अप्रैल 2023 को विशेष मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने आरबीआई से 142 बार 329 दिनों के लिए ₹ 1,23,207.02 करोड़ विशेष मार्गोपाय अग्रिम प्राप्त किए तथा ₹ 335.97 करोड़ ब्याज के रूप में चुकाये। वर्ष 2023-24 के अंत में शेष शून्य था।

(ii) ***साधारण मार्गोपाय अग्रिमः*** 1 अप्रैल 2023 को साधारण मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने आरबीआई से 28 बार 47 दिनों के लिए ₹ 11,905.18 करोड़ साधारण मार्गोपाय अग्रिम प्राप्त किए तथा ₹ 3.96 करोड़ ब्याज के रूप में चुकाये । इन 47 दिनों में राज्य सरकार ने विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी लिया। वर्ष 2023-24 के अंत में शेष शून्य था।

(iii) ***रोकड़ शेष:*** 31 मार्च 2024 को, 'रोकड़ शेष निवेश खाते में निवेश' (₹ 627.51 करोड़), 'चिन्हित निधियों में निवेश' (₹ 9,890.55 करोड़) तथा अन्य रोकड़ शेष (₹ 24.37 करोड़) के अतिरिक्त राज्य का सामान्य रोकड़ शेष ₹ 2.39 करोड़ था जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:

अ. कोषालयों में नकद (मुख्य शीर्ष 8999-101) = ₹ 0.06 करोड़

ब. आरबीआई में जमा (मुख्य शीर्ष 8999-102) = ₹ 10.75 करोड़

स. मार्गस्थ प्रेषण-स्थानीय (मुख्य शीर्ष 8999-104) = ₹ (-) 8.42 करोड़

'आरबीआई के पास जमा' मार्च 2024 के लेखों के बंद होने के बाद 31 मार्च 2024 को रिज़र्व बैंक जमा (राज्य) के सन्दर्भ में मासिक नकद शेष को दर्शाता है। वित्त लेखे के आंकड़ों (₹ 10.75 करोड़ (नामे)) तथा आरबीआई द्वारा सूचित किये गये आंकड़ों (₹ 12.28 करोड़ (जमा)) के बीच ₹ 1.53 करोड़ (नामे) का अंतर था। इसमें से राशि ₹ 1.49 करोड़ (नामे) का मिलान एवं निपटान कर लिया गया है। जून 2024 के अंत तक ₹ 0.04 करोड़ (नामे) का अंतर शेष था तथा इसका मिलान आवश्यक है।

तालिका 2.42: रोकड़ शेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		1 अप्रेल 2023 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2024 को अंतिम शेष
	अ. सामान्य रोकड़ शेष		
1.	कोषालयों में रोकड़	0.06	0.06
2.	रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 61.90	10.75
3.	मार्गस्थ प्रेषण-स्थानीय	(-) 8.81	(-) 8.42
	योग	**(-) 70.65**	**2.39**
4.	रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	103.30	627.51
	योग (अ)	**32.65**	**629.90**
	ब. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
5.	विभागीय अधिकारियों यथा सार्वजनिक निर्माण एवं वन अधिकारियों के पास रोकड़	0.73	0.51
6.	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	23.74	23.86
7.	चिन्हित निधियों में निवेश	7,614.42	9,890.55
	योग (ब)	**7,638.89**	**9,914.92**
	योग (अ +ब)	**7,671.54**	**10,544.82**
	प्राप्त ब्याज	**14.08**	**(-) 1.10#**

स्रोत: वित्त लेखे

ऋणात्मक आंकड़े परिपक्वता से पूर्व निवेश को पुन:बट्टा करने के कारण है।

तालिका 2.43: रोकड़ शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी (-)	अर्जित ब्याज
1.	2019-20	2,154.46	5,807.73	3,653.27	77.12
2.	2020-21	5,807.73	4,440.13	(-) 1,367.60	23.38
3.	2021-22	4,440.13	8,218.92	3,778.79	43.69
4.	2022-23	8,218.92	103.30	(-) 8,115.62	14.08
5.	2023-24	103.30	627.51	524.21	(-) 1.10

स्रोत- वित्त लेखे

राज्य सरकार का अधिशेष रोकड़ शेष पांच प्रतिशत वार्षिक की औसत ब्याज दर के साथ 14 दिन के कोषालय बिलों में स्वतः निवेशित हो जाते है तथा आंशिक रूप से 91,182 तथा 364 दिवसीय आरबीआई के नीलामी वाले कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते है। वर्ष 2023-24 के अंत तक ₹ 627.51 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, इसके अलावा, ₹ 9,890.55 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

चार्ट 2.24: निवल बाजार ऋण के साथ-साथ सामान्य रोकड़ शेष

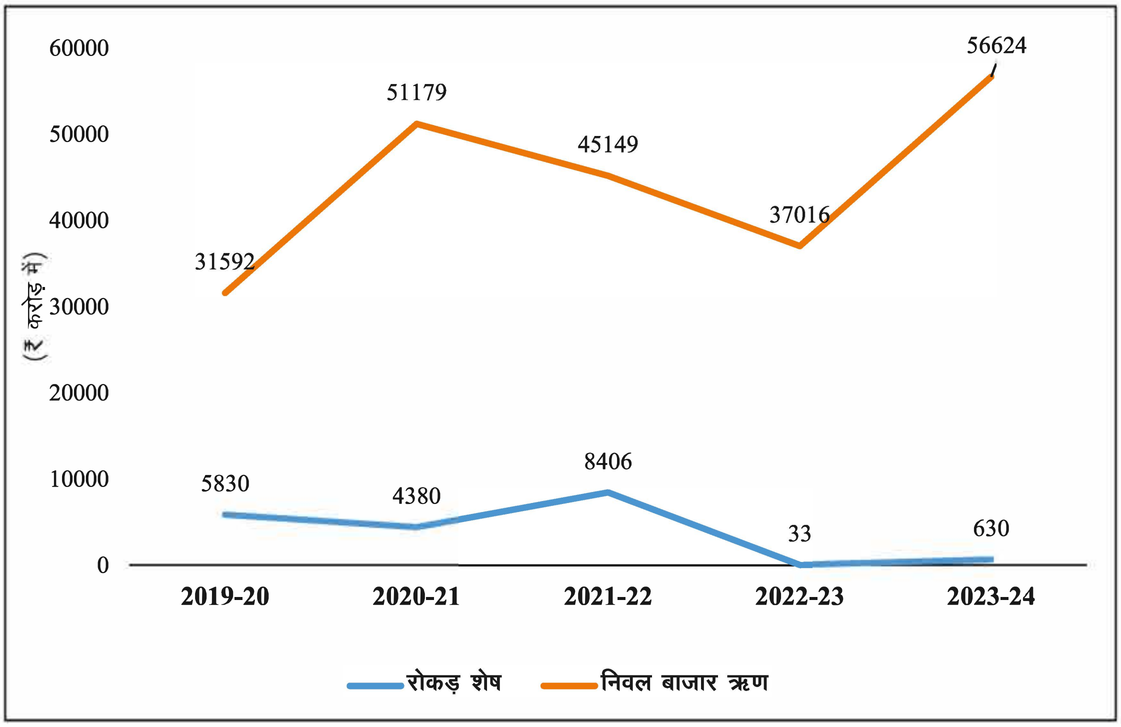

चार्ट 2.25: वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं निवल रोकड़ शेष निवेश का माहवार संचलन

(₹ करोड़ में)

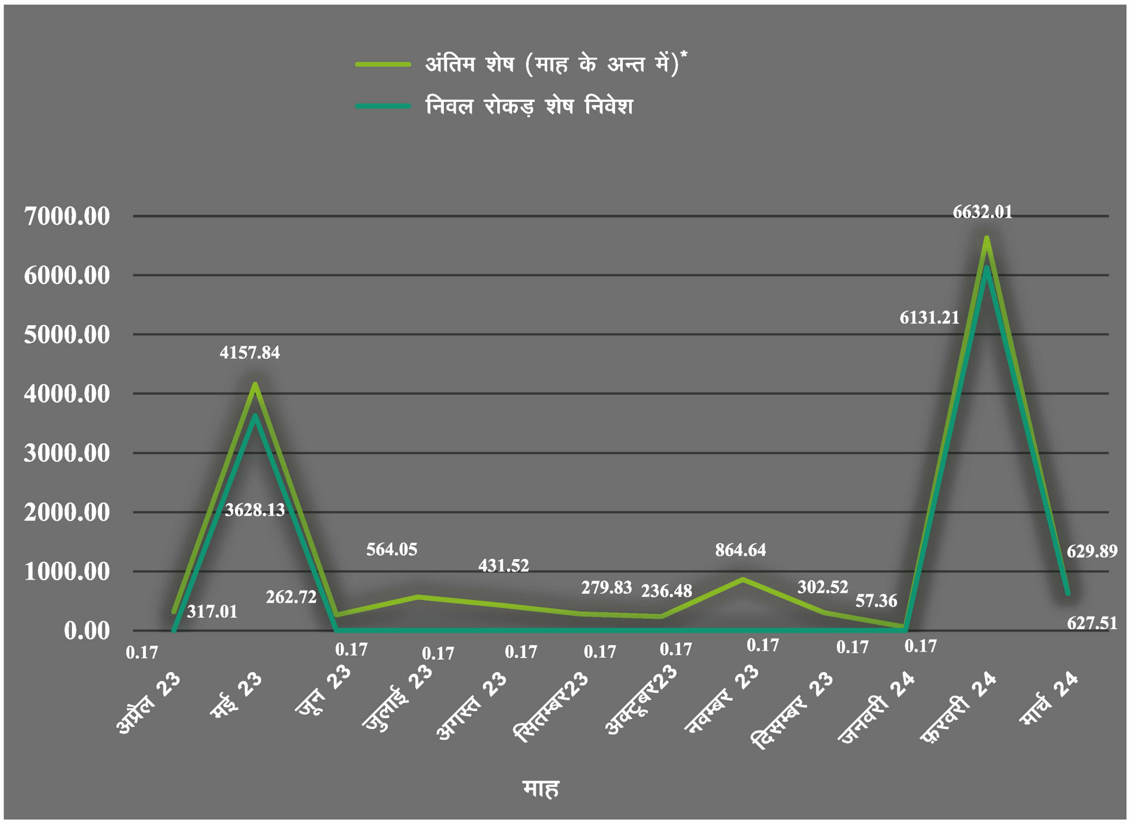

** इसमें कोषालयों में रोकड़, रिजर्व बैंक के पास जमा, मार्गस्थ प्रेषण- स्थानीय तथा रोकड़ शेष निवेश खाते के निवेश शामिल हैं।*

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने 329 दिनों के लिए 170 बार मार्गोपाय लिया तथा ₹ 340 करोड़ का ब्याज अदा किया। यह राज्य के अपर्याप्त रोकड़ प्रबंधन को इंगित करता है।

2.8 निष्कर्ष

राज्य सरकार लगातार ग्यारह वर्षों से एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत परिकलित राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही। वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व घाटा 2022-23 के ₹ 31,491 करोड़ से बढ़कर ₹ 38,955 करोड़ हो गया तथा राजकोषीय घाटा 2022-23 के ₹ 51,028 करोड़ से बढकर ₹ 68,580 करोड़ हो गया।

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियां गत वर्ष से ₹ 8,288 करोड़ (4.25 प्रतिशत) बढ़ी तथा केंद्र से हस्तांतरण राजस्व प्राप्तियों का 44.53 प्रतिशत था।

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय गत वर्ष से ₹ 15,752 करोड़ (6.96 प्रतिशत) बढ़ा। वर्ष 2023-24 में प्रतिबद्ध व्यय का अंश 52.32 प्रतिशत तथा अर्थ-सहाय्य राजस्व व्यय का 11.73 प्रतिशत था।

वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 9.90 प्रतिशत था।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के उपलब्ध निवल ऋण कुल उधारियों ₹ 3,64,764.01 करोड़ में से केवल ₹ 31,936.72 करोड़ (8.76 प्रतिशत) था।

मार्च 2024 के अंत में, रोकड़ शेष ₹ 630 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 329 दिनों के लिए सामान्य एवं विशेष मार्गोपाय का उपयोग किया तथा ₹ 340 करोड़ ब्याज दिया।

2.9 सिफारिशें

राज्य सरकार बेहतर कर अनुपालन द्वारा कर एवं कर-भिन्न राजस्व के माध्यम से अतिरिक्त संशाधन जुटा सकती है ताकि राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे के एफबीआरएम लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

हालाँकि वेतन, पेंशन एवं ब्याज प्रतिबद्ध है, अर्थ-सहाय्य, स्थानीय निकायों के अलावा सहायतार्थ अनुदान जो लगातार बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार को व्यय को सीमित करने हेतु व्यय पक्ष में मध्यकालिक सुधार करने की एवं साथ ही ऋण के स्तर को कम करने हेतु राज्य के राजस्व को बढ़ाने आवश्यकता है।

राज्य सरकार मार्गोपाय अग्रिमों के उपयोग को कम करने हेतु अधिक कुशल रोकड़ प्रबंधन तंत्र बना सकती है।